नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 209, नई दिल्ली, मंगलवार 03 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण से कमाया जाता है; और विश्वास शब्दों से नहीं, निरंतर अच्छे कर्मों से बनता है।

● 03 वह दीया जो कभी बुझा नहीं : 2500 वर्षों के सफर में हमारा दीपोत्सव
● 06 परंपराओं का प्रकाश: मिट्टी के दीयों की अनकही कहानी
● 08 न्याय की पहुंच हर गरीब तक होनी चाहिए: सीजेआई

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

दिल्ली NCR में GRAP का दूसरा चरण लागू - AQI 300 पार, सर्दी से पहले ही हवा जहरीली

CAQM ने खराब वायु गुणवत्ता पर सख्त कदम उठाए, नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग की अपील

रिपोर्ट नवदीप सिंह परिवहन विशेष समाचार पत्र

प्रस्तावना: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर चिंताजनक रूप ले लिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 02 नवंबर 2026 को आदेश क्रमांक 120017/27/GRAP/2021/CAQM-1675 जारी कर GRAP का Stage-II (Very Poor) तत्काल प्रभाव से पूरे NCR में लागू कर दिया है।

तथ्य और पृष्ठभूमि:

1. AQI में तेज उछाल: दिल्ली का AQI 31.10.2026 को 117 (मध्यम) था, जो 01.11.2026 को बढ़कर 261 (खराब) और 02.11.2026 को 324 (अत्यंत खराब) तक पहुंच गया।

2. मौसम विभाग की चेतावनी: IMD/IITM ने अगले दिनों में भी वायु गुणवत्ता के अत्यंत खराब श्रेणी में बने रहने का पूर्वानुमान जताया है।

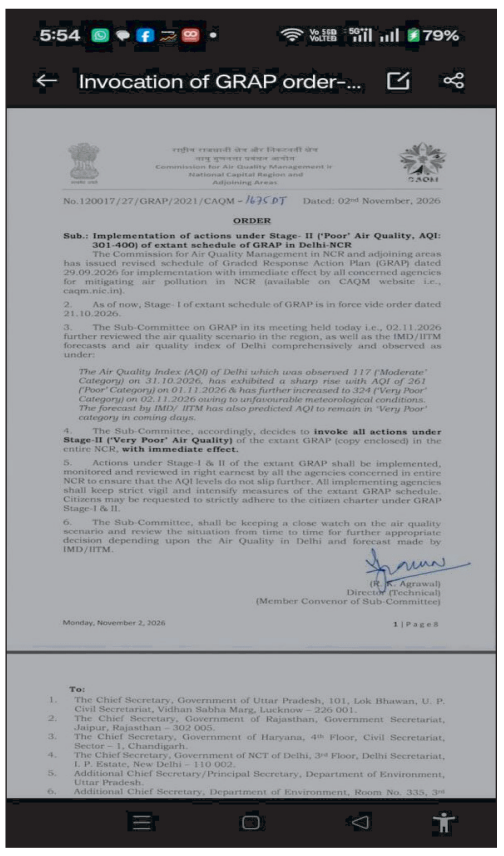
3. पहला चरण पहले से लागू: GRAP का Stage-I 21.10.2026 से ही लागू है।

उप-समिति का निर्णय: CAQM की उप-समिति ने 02.11.2026 को हुई बैठक में वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा के बाद 29.09.2026 को जारी संशोधित GRAP शेड्यूल के तहत Stage-II के सभी कार्यों को लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु - लागू किए गए प्रमुख कार्य:

- सड़कों पर मशीनीकृत सफाई (Mechanical Sweeping) और जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ाना।
- स्थिर डीजल जेनरेटर सेटों पर सख्ती - केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट।
- पार्किंग शुल्क में वृद्धि कर निजी वाहनों को हतोत्साहित करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना।
- निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और धूल नियंत्रण मानदंड अनिवार्य।
- सभी संबंधित एजेंसियों को दैनिक अनुपालन रिपोर्ट CAQM पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी।

नागरिकों से अपील: नागरिक चार्टर के तहत सभी नागरिकों से अपील है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें, निजी वाहनों का प्रयोग कम करें और वायु प्रदूषण रोकने में प्रशासन का सहयोग करें।

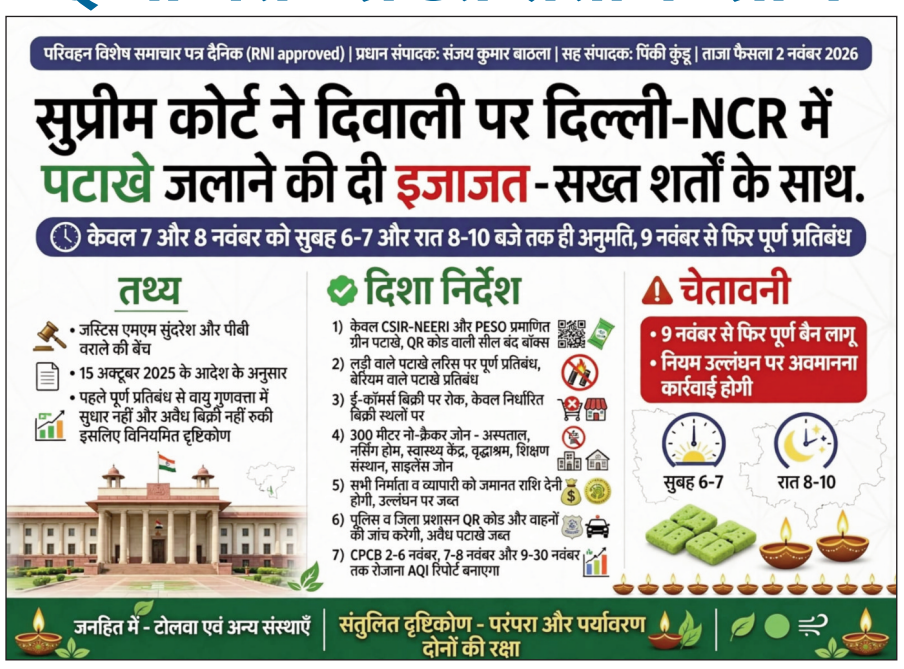




आदेश प्रेषित: मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग - सभी

हस्ताक्षर: आर.के. अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी) एवं संयोजक, CAQM उप-समिति।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की दी इजाजत - सख्त शर्तों के साथ



केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6-7 और रात 8-10 बजे तक ही अनुमति, 9 नवंबर से फिर पूर्ण प्रतिबंध

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

तथ्य: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने आज 1 नवंबर 2026 को दिल्ली-NCR में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को 1 दिन के लिए अनुमति दी है। यह अनुमति 15 अक्टूबर 2025 के पुराने आदेश के अनुसार है। कोर्ट ने कहा कि पहले दिसंबर 2024 में लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध न तो वायु गुणवत्ता (AQI) में उल्लेखनीय सुधार ला सका और न ही अवैध बिक्री रोक पाया, इसलिए पूर्ण बैन की जगह विनियमित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मुख्य बिंदु - दिशा निर्देश:

1. **समय:** केवल 7 और 8 नवंबर (दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन) को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति। इसके बाहर पूर्ण प्रतिबंध।

2. **केवल ग्रीन पटाखे:** केवल CSIR-NEERI और PESO प्रमाणित ग्रीन पटाखे, QR कोड वाली सील बंद बॉक्स में। 30% कम प्रदूषण वाले माने जाते हैं।

3. **क्या बैन है:** लड़ी वाले पटाखे (लरिस), बेरियम युक्त पटाखे, और गैर-प्रमाणित उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध। ई-कॉमर्स के जरिए बिक्री पर रोक।

4. **नो-क्रैकर जोन:** अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, शिक्षण संस्थान और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर दायरे में पूर्ण पाबंदी। इन्हें चिह्नित कर प्रचारित किया जाएगा।

5. **सुरक्षा जमा:** सभी निर्माता और व्यापारियों को मौद्रिक जमानत राशि देनी होगी, उल्लंघन पर जब्त हो जाएगी।

6. **निगरानी:** पुलिस और जिला प्रशासन नियमित निरीक्षण, QR कोड जांच और दिल्ली-NCR में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग करेंगे। CPCB 1-6 नवंबर, 7-8 नवंबर और 9-30 नवंबर तक रोजाना AQI रिपोर्ट बनाएगा।

चेतावनी: 9 नवंबर से फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। राज्य सरकारों को 14 दिसंबर तक अनुपालन हलफनामा देना होगा। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई हो सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों के गैर-BS-VI वाहनों पर लगी पाबंदी को हटाने से किया इनकार



विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू, लाखों वाहन मालिकों की बढ़ी मुश्किलें, अगली सुनवाई 27 नवंबर

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

तथ्य: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 2 नवंबर 2026 को दिल्ली सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें विंटर एक्शन प्लान के तहत बाहरी राज्यों में पंजीकृत प्री-BS-VI वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाई गई है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पाबंदी क्या है - मुख्य बिंदु:

- पर्यावरण और वन विभाग, दिल्ली सरकार की 23 जून 2026 की अधिसूचना का पैराग्राफ 4 भाग 1, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी है
- इसके अनुसार जो वाहन दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं और BS-VI उत्सर्जन मानक पूरा नहीं करते (BS-III / BS-IV), वे 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते
- यह पाबंदी हर साल 1 नवंबर को स्वतः लागू होती है और 24 घंटे लागू रहती है
- दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने 1 नवंबर से अब तक 14,930 वाहनों की जांच की है, बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर अभियान चल रहा है

जनहित याचिका - क्या कहा गया:

फरीदाबाद निवासी वकील गुरमुख दास कोहली ने याचिका दायर की है। उनका तर्क है:

1. यह प्रतिबंध मनमाना और भेदभावपूर्ण है - अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
2. दिल्ली में पंजीकृत BS-4 वाहन पूरी सर्दियों में चल सकते हैं, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पंजीकृत समान उत्सर्जन वाले वाहन दिल्ली में प्रवेश भी नहीं कर सकते - वर्गीकरण प्रदूषण के स्तर पर नहीं, बल्कि पंजीकरण की जगह पर आधारित है
3. बिना वैज्ञानिक मूल्यांकन के पूरे 3 महीने की 24 घंटे पाबंदी थोप दी गई है
4. CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा सितंबर 2026 में जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में भी ऐसे किसी पूर्ण मौसमी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है

कोर्ट का फैसला:

- बेंच ने कहा कि फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती
- दिल्ली सरकार को नोटिस जारी, जवाब दाखिल करने का निर्देश
- मामले को 27 नवंबर 2026 को संबंधित अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा
- तब तक पाबंदी जारी रहेगी

प्रभाव: इस फैसले से NCR के लाखों वाहन मालिक प्रभावित होंगे जो रोजगार, व्यापार और निजी कार्यों से दिल्ली आते हैं। AQI 386 (Very Poor) के साथ प्रदूषण नियंत्रण जरूरी है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि वैज्ञानिक समाधान और समान नीति होनी चाहिए।

जब तक सरकार स्वयं अपने कार्बन पदचिह्न, अपने डेटा सेंटर, अपने ई-कचरे का हिसाब नहीं देगी, तब तक पर्यावरण का मुद्दा जनता के लिए सजा और सत्ता के लिए कमाई का साधन बना रहेगा.....

पर्यावरण: आज का सबसे बड़ा मुद्दा — लेकिन दोषी कौन? कारक कौन? सजा किसे?

प्रस्तुतकर्ता संजय कुमार बाठला

पर्यावरण शब्द आज सत्ता का सबसे सुविधाजनक हथियार बन गया है। जनता को डराने, लूटने, जुर्माना लगाने और सजा देने के लिए इस शब्द का प्रयोग बखूबी हो रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि — पर्यावरण के लिए उत्तरदायी और उसे बढ़ाने वाले कारक स्वयं सरकार और सरकारी विभाग तो नहीं हैं? डिजिटल दुनिया आभासी दिखती है, लेकिन उसका बोझ वास्तविक है। हर क्लिक के पीछे डेटा सेंटर, बिजली, ई-कचरा और कार्बन है।

1. मुख्य तथ्य — डिजिटल प्रदूषण अदृश्य है, पर वास्तविक है

- डेटा केंद्र: हर ईमेल, वीडियो, AI चैट के पीछे सर्वर चलते हैं। भारत में बिजली का बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले से बनता है। यानी डिजिटल सुविधा का मतलब कोयले का धुआं है।
- वीडियो और स्क्रॉल: ऑटो-प्ले, 4K स्ट्रीमिंग, बार-बार डाउनलोड — यह सब बेवजह डेटा और ऊर्जा की खपत बढ़ाता है।
- ई-कचरा: स्मार्टफोन, लैपटॉप, चार्जर — हर साल करोड़ों टन ई-कचरा। अनौपचारिक रीसाइक्लिंग में श्रमिक जहरीले पदार्थ झेलते हैं, मिट्टी और पानी दूषित होता है।
- क्लाउड का भ्रम: क्लाउड कोई बादल नहीं है — इमारत, सर्वर, कूलिंग सिस्टम और बिजली है।
- AI की कीमत: AI प्रशिक्षण में भारी कंप्यूटिंग लगती है। लाभ के साथ-साथ उसकी ऊर्जा लागत भी गिननी होगी।

2. विडंबना — जो कारक हैं, वही न्यायाधीश बने हुए हैं

- सरकार ही सबसे बड़ी प्रदूषक है: सरकारी विभागों के बड़े डेटा सेंटर, सरकारी भवनों की बिजली खपत, सरकारी परियोजनाओं का ई-कचरा, सरकारी वाहनों का धुआं — इन पर कोई GRAP, कोई चालान, कोई जुर्माना नहीं।



- नियम जनता के लिए, छूट व्यवस्था के लिए: आम नागरिक पर पराली, वाहन, पटाखे पर सख्ती — लेकिन सरकारी फैक्ट्री, सरकारी निर्माण, सरकारी कचरा प्रबंधन की विफलता पर मौन।
- पर्यावरण के नाम पर वसूली: पर्यावरण क्लीयरेंस, NOC, प्रदूषण प्रमाणपत्र, जुर्माना — यह व्यवस्था जनता के लिए छल का साधन बन गई है, जबकि मूल कारक — कोयला आधारित बिजली, अनियोजित शहरीकरण, ई-कचरे का अवैध व्यापार — सरकार की नीतियों से ही बढ़ रहा है।

> जनता पूछती है — जब सरकार स्वयं पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है, तो सजा सिर्फ जनता को क्यों?

3. जनता कैसे बचे — व्यावहारिक सुरक्षा कवच

A. व्यक्तिगत स्तर पर:

- उपकरण की उम्र बढ़ाएं, मरम्मत कराएं, अनावश्यक अपग्रेड न करें
- वीडियो रिजॉल्यूशन कम रखें, ऑटो-प्ले बंद करें
- पुराने उपकरण अधिकृत रीसाइक्लर को ही दें
- ऊर्जा-बचत मोड और स्वच्छ बिजली विकल्प चुनें

B. कानूनी स्तर पर:

- RTI से पूछें — आपके जिले में सरकारी डेटा सेंटर, नगर निगम, सरकारी विभाग का कार्बन ऑडिट कहां है?
- पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले विभाग के खिलाफ NGT / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत दर्ज करें — केवल जनता के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ भी।
- प्रदूषण के नाम पर अवैध वसूली हो तो उसकी रसीद, आदेश और कानूनी आधार मांगें।

C. सामूहिक स्तर पर:

- स्कूल-कॉलेज में ई-कचरा अभियान चलाएं
- स्थानीय स्तर पर राइट टू रिपेयर आंदोलन — मरम्मत का अधिकार

4. कारक को सजा कैसे हो — जवाबदेही का मॉडल

1. Polluter Pays Principle — सबके लिए: यह सिद्धांत सिर्फ उद्योगपतियों और किसानों पर नहीं, सरकारी विभागों पर भी लागू हो। सरकारी विभाग प्रदूषण फैलाए तो उसका बजट कटे, अधिकारी जिम्मेदार ठहरें।
2. पारदर्शी ऑडिट: हर सरकारी विभाग का वार्षिक कार्बन और ई-कचरा ऑडिट सार्वजनिक हो — जैसे निजी कंपनियों से मांगा जाता है।
3. ग्रीन प्रोक्योरमेंट: सरकार केवल ऊर्जा-कुशल, मरम्मत-योग्य, रीसाइकिल-योग्य उत्पाद खरीदे।
4. NGT और कोर्ट की भूमिका: कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण पर कहा — "हमारे पास जादू की छड़ी नहीं"। सही है, लेकिन कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग न सके।
5. नागरिक को संरक्षण: पर्यावरण कानून का प्रयोग जनता को लूटने के लिए नहीं, जनता की रक्षा के लिए हो।

5. निष्कर्ष — प्रगति को समझदार बनाना होगा

डिजिटल तकनीक न तो अपने आप हानिकारक है, न अपने आप पर्यावरण-अनुकूल। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन चलाता है और किस उद्देश्य से।

आज आवश्यकता है —

- प्रगति कम नहीं, प्रगति समझदार हो
- सजा जनता को नहीं, कारक को हो
- पर्यावरण शब्द छल का साधन नहीं, रक्षा का संकल्प बने

जब तक सरकार स्वयं अपने कार्बन पदचिह्न, अपने डेटा सेंटर, अपने ई-कचरे का हिसाब नहीं देगी, तब तक पर्यावरण का मुद्दा जनता के लिए सजा और सत्ता के लिए कमाई का साधन बना रहेगा।

दूध के नमूनों में प्लास्टिक के कण: विज्ञान की चिंता

डॉ. विजय गर्ग

दूध को स्वस्थ आहार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बच्चों के शारीरिक विकास से लेकर बुजुर्गों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं तक, दूध और इससे बने पदार्थों की अहम भूमिका है। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में दूध के कुछ नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक कणों की मौजूदगी सामने आने से खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा हुई हैं। यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि जिस दूध को हम पोषण का स्रोत मानते हैं, क्या वह प्लास्टिक प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित है?

माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बहुत छोटे कण होते हैं, जिनका आकार सामान्यतः पाँच मिलीमीटर से कम होता है। ये प्लास्टिक की बड़ी वस्तुओं के टूटने, सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले रेशों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और अन्य स्रोतों से पर्यावरण में पहुँच सकते हैं। इससे भी छोटे कणों को नैनोप्लास्टिक कहा जाता है।

ये कण हवा, पानी, मिट्टी और खाद्य पदार्थों में पाए जा सकते हैं। इनमें से कई कण नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए इनकी पहचान और माप के लिए विशेष वैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता होती है।

दूध में प्लास्टिक के कण कैसे पहुँचते हैं?

दूध में माइक्रोप्लास्टिक पहुँचने के कई संभावित रास्ते हो सकते हैं। पशुओं के चारे, पीने के पानी या आसपास के वातावरण में मौजूद प्लास्टिक के कण उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, दूध एकत्र करने, भंडारण करने और परिवहन के दौरान प्लास्टिक सामग्री के संपर्क से भी उसमें कण पहुँच सकते हैं।

प्लास्टिक की पाइपें, कंटेनर, पैकेजिंग सामग्री और अन्य उपकरण भी संभावित स्रोत हो सकते हैं, जिनकी जाँच आवश्यक है। हालाँकि, प्रत्येक नमूने में संदूषण का स्रोत अलग हो सकता है। इसलिए सभी मामलों में किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

वैज्ञानिक चिंता क्यों बढ़ रही है?

दूध में माइक्रोप्लास्टिक कणों की पहचान होना अपने आप में वैज्ञानिक जाँच का विषय है। इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन कणों का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

कुछ प्रयोगशाला और पशु-अध्ययनों में माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क से सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और शरीर की कुछ जैविक प्रक्रियाओं में बदलाव जैसे संभावित प्रभावों का अध्ययन किया गया है। लेकिन इन निष्कर्षों के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि दूध के माध्यम से शरीर में पहुँचने वाले माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा मनुष्यों में किसी विशेष बीमारी का कारण बनती है।

मानव स्वास्थ्य पर इनके प्रभावों के संबंध में प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं। इसलिए संभावित जोखिमों को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं है, लेकिन अधूरी जानकारी के आधार पर अनावश्यक भय फैलाना भी सही नहीं है।

जाँच में सावधानी की आवश्यकता

दूध में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के परिणामों की तुलना करते समय विशेष सावधानी आवश्यक है। नमूने एकत्र करने और सुरक्षित रखने के तरीके, जाँच में इस्तेमाल की गई तकनीक तथा प्रयोगशाला में बाहरी प्लास्टिक कणों से होने वाला संभावित संदूषण परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

विश्वसनीय निष्कर्षों के लिए मानकीकृत जाँच विधियाँ, उचित नियंत्रण नमूने और स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा परिणामों की पुष्टि आवश्यक है। केवल कुछ नमूनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा कि सारा दूध दूषित है।

उपभोक्ता क्या कर सकते हैं?

आम उपभोक्ता प्लास्टिक से होने वाले अनावश्यक संपर्क को कम करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं:

- दूध स्वच्छ और विश्वसनीय स्रोत से खरीदें।

- दूध एकत्र करने और भंडारण के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की सफाई का ध्यान रखें।

- दूध को गर्म करने या उबालने को माइक्रोप्लास्टिक से पूर्ण सुरक्षा का उपाय न समझें। सामान्य रूप से उबालने से प्लास्टिक के कण पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, इसकी गारंटी नहीं है।

- गर्म दूध को अनुपयुक्त प्लास्टिक के बर्तनों में लंबे समय तक रखने से बचें। खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त तापमान सहन करने वाले बर्तनों का इस्तेमाल करें।



- एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग कम करें और प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान करें।

इन उपायों से संदूषण की कुछ संभावनाओं को कम करने में सहायता मिल सकती है, लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देते।

सरकार, उद्योग और वैज्ञानिकों की भूमिका

दूध की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली संस्थाओं को मानकीकृत जाँच विधियों को बढ़ावा देना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार दूध के नमूनों की जाँच करनी चाहिए। डेयरी उद्योग को उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन की प्रत्येक प्रक्रिया में संदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करनी चाहिए।

वैज्ञानिकों के लिए यह पता लगाना भी आवश्यक है कि दूध में पाए जाने वाले कणों के प्रकार, आकार और मात्रा क्या हैं तथा वे मानव शरीर में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। इनके संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, विशेष रूप से बच्चों और अन्य संवेदनशील समूहों के संदर्भ में।

जनता तक सही जानकारी पहुँचाना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। वैज्ञानिक निष्कर्षों को पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उनके प्रमाणों तथा सीमाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इससे उपभोक्ता अनावश्यक भय के बिना सूचित निर्णय ले सकेंगे।

निष्कर्ष

दूध के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक कणों की मौजूदगी आधुनिक विज्ञान और खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है। यह समस्या केवल दूध तक सीमित नहीं है, बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण और मानव जीवन के बीच बढ़ते संबंध को भी उजागर करती है।

हमें भय और अफवाहों के बजाय वैज्ञानिक प्रमाणों, पारदर्शी जाँच और जिम्मेदार कार्रवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूध के पोषण संबंधी महत्त्व को नकारने के बजाय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान, निगरानी और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर ध्यान देना आवश्यक है।

स्वच्छ पर्यावरण ही सुरक्षित भोजन और स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्रिंसिपल | प्रख्यात वैज्ञानिक
गली कौर चंद, एम.एच.आर.
मलोट, पंजाब – 152107

शरीर के इन 16 लक्षणों को नज़रअंदाज़ करना पड़ सकता है भारी!



1. कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द = किडनी या मांसपेशियों से जुड़ी समस्या हो सकती है।

2. बिना वजह बहुत ज़्यादा थकान = एनीमिया या थायरॉइड की समस्या हो सकता है।

3. उंगलियों में सुन्नपन = नस दबने या विटामिन B12 की कमी से हो सकता है।

4. पैरों के तलवों में जलन = डायबिटीज़ या नसों को नुकसान होने से जुड़ी हो सकती है।

5. आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ना = लिवर या पित्त की नलियों से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।

6. बार-बार पेशाब आना = डायबिटीज़ या पेशाब से जुड़ी किसी समस्या के कारण हो सकता है।

7. टखनों में सूजन = दिल, किडनी या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

8. Skin में लगातार खुजली होना = त्वचा की समस्या या कभी-कभी लिवर और किडनी की बीमारी से जुड़ा हो सकता है।

9. पेशाब में खून आना = किडनी स्टोन, इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट की दूसरी समस्याओं का संकेत हो सकता है।

10. बहुत ज़्यादा प्यास लगना = डायबिटीज़ या शरीर में पानी की कमी के कारण हो सकता है।

11. त्वचा का पीला या फीका पड़ना = खून की कमी या किसी दूसरी बीमारी का संकेत हो सकता है।

12. पेट में लगातार फूलना या भारीपन रहना = पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है।

13. बिना कोशिश के वज़न कम होना = थायरॉइड, पाचन तंत्र या किसी दूसरी बीमारी से जुड़ा हो सकता है।

14. मांसपेशियों में कमज़ोरी = शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन या नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है।

15. हल्की चोट में भी आसानी से नीले निशान पड़ना = कुछ दवाओं के असर या खून से जुड़ी समस्या के कारण हो सकता है।

16. रात में लगातार बहुत पसीना आना = इन्फेक्शन, दवाओं के असर या किसी दूसरी मेडिकल समस्या से जुड़ा हो सकता है।

याद रखें: इन लक्षणों का मतलब हमेशा कोई गंभीर बीमारी होना नहीं है। लेकिन अगर कोई लक्षण लगातार बना रहे, बार-बार हो या बिना किसी स्पष्ट कारण के दिखाई दे, तो डॉक्टर से सलाह लें।

समय पर लक्षणों को पहचानना और सही जाँच करवाना आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है।

सोया ऑयल का भयावह सच - मंडी से बोतल तक का केमिकल सफर

60 रुपये किलो सोयाबीन से 110 रुपये लीटर तेल कैसे? रिफाइंड के नाम पर 6 रासायनिक चरणों का खेल

भाग 1: चौंकाने वाले तथ्य

- मंडी में सोयाबीन भाव: 60 रु/किलो, वीडियो में तराजू पर 60/kg बोर्ड स्पष्ट

- 1 किलो सोयाबीन से मात्र 180-200 ग्राम तेल निकलता है, बीकर में प्रयोग से प्रमाणित

- यदि सीधा हिसाब लगाएं तो लागत लगभग 350-400 रु/लीटर बैठती है

- फिर बाजार में Fortune, Soya refined 110 रु/लीटर कैसे बिक रहा है? यही अर्थशास्त्र का पहला सवाल

भाग 2: फैक्ट्री प्रक्रिया - 6 रासायनिक चरण

1. हेक्सेन (Hexane): पेट्रोलियम सॉल्वेंट - तेल को बीज से खींचने के लिए। टैंकों में बीन फ्लेक्स पर छिड़का जाता है।

2. फॉस्फोरिक एसिड (Phosphoric Acid): तेजाब से डीगमिंग - तेल में मौजूद गोंद, रेजिन हटाने हेतु। लैब में भूरे झाग बनते दिखे।

3. कॉस्टिक सोडा (NaOH): कास्टिक सोडा/बेस डालकर न्यूट्रलाइजेशन - फ्री फैटी एसिड को साबुन में बदलकर अलग किया जाता है। टैंक में भूरे साबुन जैसे गुच्छे बनते हैं।

4. ब्लीचिंग अर्थ: मुल्तानी मिट्टी + एक्टिवेटेड कार्बन से रंग सोखना - काला-भूरा तेल दिखने में सुनहरा पारदर्शी किया जाता है।

5. डीओडराइजेशन: 200°C से अधिक भाप से तेज बदबू उड़ाई जाती है। स्टीम टावर में तेज आवाज के साथ अवशेष निकाले जाते हैं।

6. परिणाम: बचा क्या? बिना स्वाद, बिना महक, बिना पोषण वाला खाली रिफाइंड तेल।

भाग 3: असली कमाई कहाँ से? - DOC से तेल तो कुल उत्पादन का 20% है। 80% कमाई De-Oiled Cake (DOC) से:

- सोया बड़ी / प्रोटीन उत्पाद
- पशु आहार - DOC खल
- लेसिथिन - चॉकलेट, खाद्य उत्पादों में इमल्सीफायर
- साबुन/डिटर्जेंट - उप-उत्पाद से
- विटामिन E कैप्सूल्स - रिफाइनिंग के निष्कर्षण से

भाग 4: स्वास्थ्य संदेश - जनहित

- रिफाइंड तेल कम खाएं, तलने-भूनने से बचें
- कोल्ड प्रेस विकल्प अपनाएं: कच्ची घानी सरसों, मूंगफली, तिल
- पारंपरिक घानी में लकड़ी के कोल्हू से निकला तेल, वीडियो के अंत में वही दिखाया
- पैकेट पर 'रिफाइंड' नहीं, 'कोल्ड प्रेस्ड/कच्ची घानी' देखें

Disclaimer: यह जानकारी जनजागरूकता हेतु है। औद्योगिक रिफाइंड तेल प्रक्रिया पर आधारित। अपने आहार हेतु पोषण विशेषज्ञ/चिकित्सक से परामर्श लें।



आंतों का आम बैक्टीरिया कैसे बढ़ा सकता है कोलन कैंसर का खतरा? 20 साल पुरानी गुत्थी सुलझाने में मिली सफलता

विज्ञानियों ने आंतों में पाए जाने वाले एक आम बैक्टीरिया और कोलन कैंसर के बीच संबंध को समझने में अहम सफलता हासिल की है।

अमेरिका के जाव्स हापकिन्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस नामक बैक्टीरिया का विषैला पदार्थ आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाकर सूजन और ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है।

करीब दो दशक से विज्ञानी यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि यह विष आंतों की कोशिकाओं पर हमला कैसे करता है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में इस सवाल का जवाब मिला है।

क्लाडिन-4 प्रोटीन की मिली अहम भूमिका

इस बैक्टीरिया की कुछ किस्में बीएफटी (बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस टाक्सिन) नामक विष पैदा करती हैं। यह विष आंतों की सुरक्षा करने वाली परत को कमजोर कर सकता है। इससे लंबे समय तक सूजन बनी रह सकती है और कैंसर से जुड़ी प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिल सकता है। विज्ञानियों ने पाया कि विष सबसे पहले क्लाडिन-4 नामक प्रोटीन से जुड़ता है। यह प्रोटीन आंतों की कोशिकाओं के बीच मजबूत जोड़ बनाने और सुरक्षा परत को बनाए रखने में मदद करता है।

सीआरआइएसपीआर तकनीक से मिला सुराग

इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विज्ञानियों ने सीआरआइएसपीआर जीन-संपादन तकनीक की मदद ली। इसके जरिए उन्होंने आंतों की कोशिकाओं में अलग-अलग जीन को निष्क्रिय करके जांच की कि विष को कोशिकाओं से जुड़ने के लिए किस प्रोटीन की जरूरत होती है। इस जांच में क्लाडिन-4 की अहम भूमिका सामने आई।

सेहत के लिए आपकी कुंडली क्या कहती है — जानें बिल्कुल मुफ्त

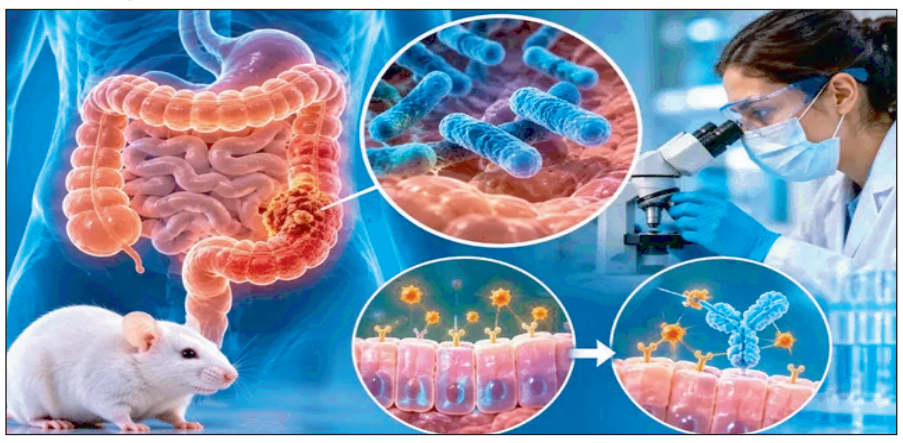
जब इससे जुड़े जीन को निष्क्रिय किया गया, तो विष कोशिकाओं से नहीं जुड़ पाया और ई-कैडेरिन नामक प्रोटीन को नुकसान पहुंचाने में असफल रहा। ई-कैडेरिन कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने में मदद करता है।

इलाज की नई उम्मीद, लेकिन अभी और शोध जरूरी

अध्ययन की वरिष्ठ लेखिका और जाव्स हापकिन्स की वैज्ञानिक सिंथिया सिरर्स के अनुसार, बैक्टीरिया के विष के काम करने के तरीके को समझने से नई जांच और उपचार विधियां विकसित करने का रास्ता खुल सकता है। शोधकर्ता अब ऐसे छोटे अणुओं और जैविक उपचारों पर काम कर रहे हैं, जो विष को कोशिकाओं से जुड़ने से रोक सकें।

विज्ञानियों को दोनों अणुओं की सटीक त्रि-आयामी संरचना समझने के लिए भी आगे शोध करना होगा। गौरतलब है कि २००9 के एक अध्ययन में भी इस विष और कोलन ट्यूमर के बीच संबंध सामने आया था। नई खोज उस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी स्पष्ट करती है। हालांकि, यह बैक्टीरिया स्वस्थ लोगों की आंतों में भी पाया जा सकता है और इसकी मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को कैंसर जरूर होगा।

चूहों पर सफल रहा बचाव का प्रयोग शोधकर्ताओं ने इस खोज के आधार पर एक खास प्रोटीन आधारित 'मालिक्यूलर डिकाय' तैयार किया। यह नकली लक्ष्य विष को आंतों की कोशिकाओं तक पहुंचने से पहले अपने साथ बांध लेता है। चूहों पर किए गए प्रयोगों में इस तरीके से विष के कारण होने वाले नुकसान से बचाव हुआ। हालांकि, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि यह तरीका मनुष्यों में कैंसर रोक सकता है।



दीपावली पर्व का वैज्ञानिक दृष्टिकोण



लेखक डॉ.नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी

दीपावली पर्व का वैज्ञानिक पक्ष और महत्व भारतीय संस्कृति में गहरे अर्थों से जुड़ा हुआ है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक बल्कि पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां दीपावली से जुड़े कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया है।

स्वच्छता और स्वास्थ्य दीपावली से पहले घरों और आसपास की साफ-सफाई की जाती है, जिससे कई प्रकार के हानिकारक कीटाणुओं और जीवाणुओं का नाश होता है। यह सफाई मानसून के बाद के मौसम में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब नमी और गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

वातावरण का शुद्धिकरण दीपावली पर दीयों और धूप-धूनी का प्रयोग वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है। सरसों के तेल के दीये जलाने से वायुमंडल में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं का नाश होता है, जिससे हवा साफ होती है और स्वच्छ वातावरण बनता है। इसके अलावा, धूप और हवन से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है।

मौसम परिवर्तन और ऊर्जा दीपावली का पर्व मौसम में बदलाव के समय आता है, जब ठंड का आगमन होता है। ऐसे में दीयों की रोशनी और आतिशबाजी वातावरण में गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे मौसमी संक्रमण और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

सामाजिक एकता दीपावली के पर्व पर परिवार, मित्र और समाज सभी एकत्र होते हैं, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। यह पर्व मानवीय गुणों जैसे प्रेम, सौहार्द, और एकता को बढ़ावा देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए काफी आवश्यक हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव दीपावली के दौरान की जाने वाली पूजा, सकारात्मक सोच और खुशियों का माहौल लोगों में उत्साह और मानसिक शांति उत्पन्न करता है।

इस प्रकार दीपावली का वैज्ञानिक पक्ष न केवल परंपरागत, बल्कि आधुनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो हमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, और सामाजिक संबंधों के महत्व की याद दिलाता है। दीपोत्सव आनन्द पर्व का घोतक है। इस पर्व से मन में उल्लास, उत्साह पैदा होता है।



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

03 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 6 — सामंजस्य, जिम्मेदारी, रिश्ते, देखभाल और भौतिक संतुलन

मूलांक 1
धन व करियर: दिन का अंक 6 आपकी नेतृत्व ऊर्जा को महत्वाकांक्षा के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाने को कहता है। क्लाइंट, टीम और दीर्घकालिक आर्थिक निर्णय तब बेहतर होंगे जब नेतृत्व न्यायपूर्ण और संवेदनशील हो।
रिश्ते: गर्मजोशी और प्रतिबद्धता प्रमुख रहेगी। सामंजस्य बनाने की पहल करें, लेकिन बिना पूछे सबके लिए क्या सही है यह तय न करें।
सावधानी: अहंकार में खर्च, नियंत्रित व्यवहार और केवल अपनी क्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: देखभाल के साथ नेतृत्व करें और ऐसा एक निर्णय लें जो प्रगति व स्थिरता दोनों बढ़ाए।

मूलांक 2
धन व करियर: दिन 6 आपकी संवेदनशील और सहयोगी प्रकृति के साथ अच्छा मेल खाता है। संयुक्त धन, क्लाइंट सेवा या साझेदारी धैर्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक सीमाएं जरूरी रहेंगी।
रिश्ते: भावनात्मक निकटता को समर्थन मिलेगा। बार-बार आश्वासन का इंतजार करने या हर छोटे मूड का अर्थ निकालने के बजाय स्नेह सीधे व्यक्त करें।
सावधानी: भावनात्मक खर्च, निर्भरता और केवल शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतें त्यागने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण रिश्ते को पोषित करें और स्वस्थ सीमा भी बनाए रखें।

मूलांक 3
धन व करियर: दिन 6 आपकी रचनात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण ऊर्जा को लोगों और गुणवत्ता की ओर ले जाता है। प्रस्तुति, डिजाइन, शिक्षण या क्लाइंट से जुड़े काम में लाभ हो सकता है, यदि बजट संतुलित रहे।
रिश्ते: आपकी गर्मजोशी और आकर्षण संबंध मजबूत कर सकते हैं। महंगे इशारे के बजाय सच्ची प्रशंसा या साथ बिताया सुखद समय अधिक प्रभावी रहेगा।
सावधानी: दिखावे पर अधिक खर्च, बिखरी प्रतिबद्धताएं और केवल दूसरों को खुश करने के लिए वादे करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: आर्थिक अनुशासन बनाए रखते हुए रचनात्मकता से मूल्य और गर्मजोशी बढ़ाएं।

मूलांक 4
धन व करियर: दिन 6 आपकी व्यावहारिक प्रकृति में जिम्मेदारी, सेवा और आर्थिक संतुलन जोड़ता है। घर या व्यवसाय के खर्च देखें और दीर्घकालिक सुरक्षा देने वाली व्यवस्था मजबूत करें।
रिश्ते: आप कर्तव्य और विश्वसनीयता से प्यार दिखाते हैं। भावनात्मक गर्मजोशी भी जोड़ें ताकि देखभाल केवल जिम्मेदारियों की सूची जैसी न लगे।
सावधानी: कठोरता, जरूरत से ज्यादा काम और परिवार या पेशे की हर जिम्मेदारी अकेले उठाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक व्यावहारिक सुधार और एक सच्ची प्रशंसा से स्थिरता बनाएं।

मूलांक 5
धन व करियर: दिन 6 आपकी स्वतंत्र प्रकृति को प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने को कहता है। नए संपर्क और अवसर उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हाँ कहने से पहले देखें कि वे आर्थिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के अनुकूल हैं या नहीं।
रिश्ते: नयापन रिश्ते में ताजगी ला सकता है, लेकिन आज भरोसेमंद रहना जरूरी है। बदलाव हो तो बताएं और वादे निभाएं।
सावधानी: अचानक खरीदारी, अधिक लिप्तता और लगातार व्यस्त रहकर जिम्मेदारी से बचने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: स्पष्ट सीमा के भीतर लचीलापन रखें और नया जोड़ने से पहले एक प्रतिबद्धता पूरी करें।

मूलांक 6
धन व करियर: आपके मूलांक 6 और दिन के अंक 6 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। सामंजस्य, जिम्मेदारी, सौंदर्य, सेवा और भौतिक आराम प्रमुख रहेंगे। क्लाइंट, पारिवारिक धन और मूल्य-आधारित निर्णय के लिए अच्छा दिन है, यदि विलासिता बजट में रहे।
रिश्ते: प्यार, देखभाल और प्रतिबद्धता बहुत मजबूत रहेगी। निकटता बनाएं, लेकिन याद रखें कि स्वस्थ प्रेम सहयोग करता है, नियंत्रण नहीं।
सावधानी: अधिकार भावना, जरूरत से ज्यादा देना, आराम के लिए खर्च और हर प्रयास के बदले प्रशंसा की अपेक्षा से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: सोच-समझकर देखभाल और एक समझदार आर्थिक निर्णय से सामंजस्य बनाएं।

मूलांक 7
धन व करियर: दिन 6 आपकी गहरी सोच में व्यावहारिक जिम्मेदारी जोड़ता है। दीर्घकालिक खर्च, क्लाइंट प्रतिबद्धता या काम-जीवन संतुलन की समीक्षा करें और विश्लेषण से टिकाऊ योजना बनाएं।
रिश्ते: आपको शांति चाहिए हो सकती है, जबकि अपने लोग निकटता चाहें। बिना बताए दूर होने के बजाय अपनी स्पेस की जरूरत नरमी से समझाएं।
सावधानी: भावनात्मक दूरी, पूर्णता की जिद और भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय केवल विश्लेषण करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एकांत और अपनापन संतुलित करें और एक सच्चा देखभाल भरा कदम लें।

मूलांक 8
धन व करियर: दिन 6 आपकी महत्वाकांक्षी ऊर्जा में जिम्मेदारी और सेवा जोड़ता है। व्यवसाय, प्रॉपर्टी या आर्थिक योजना में केवल लाभ नहीं, लोगों और दीर्घकालिक सुरक्षा को भी महत्व दें।
रिश्ते: तनाव बढ़ने पर आपकी सुरक्षा देने की प्रवृत्ति नियंत्रण में बदल सकती है। सहयोग दें, लेकिन सामने वाले को निर्णय और जिम्मेदारी में भाग लेने दें।
सावधानी: काम में अत्यधिक डूबना, प्रतिष्ठा के लिए खर्च और भावनाओं को धन या अधिकार से नियंत्रित करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपनी शक्ति से दबाव नहीं, सुरक्षा बनाएं और एक महत्वपूर्ण रिश्ते को समय दें।

मूलांक 9
धन व करियर: दिन 6 आपकी उदार प्रकृति को जिम्मेदार सहयोग की ओर ले जाता है। परिवार या धन से जुड़े दायित्व पूरे करें और वहीं मदद दें जहां उससे स्थिरता बने, निर्भरता नहीं।
रिश्ते: करुणा और स्नेह मजबूत रहेंगे। क्षमा उपचार दे सकती है, लेकिन पुराना अस्वस्थ पैटर्न दोहर रहा हो तो स्वस्थ सीमा भी जरूरी है।
सावधानी: अपराधबोध में देना, भावनात्मक अतिप्रतिक्रिया और दूसरों की जिम्मेदारियां स्वयं उठाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: गहराई से देखभाल करें, समझदारी से दें और करुणा व आत्मसम्मान का संतुलन बनाए रखें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes

Vediccodes - Your vibrations... our solutions

वह दीया जो कभी बुझा नहीं : 2500 वर्षों के सफर में हमारा दीपोत्सव

उमेश कुमार साहू

दीपावली का असली अर्थ किसी कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी के दीये को खरीदकर, उसकी कुटिया में भी दो जून की रोटी का प्रबंध करने में है। जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के घर में चूल्हा और दीया दोनों एक साथ न जलें, तब तक रोशनी का कोई भी उत्सव सम्पूर्ण नहीं हो सकता।

अंधेरा बाहर पसरा है या भीतर, मनुष्य का आदिम स्वभाव सदा से रोशनी की तलाश का रहा है। हजारों वर्ष पूर्व जब घनी रातों के सन्नाटे में आदिमानव ने दो पत्थरों को टकराकर पहली चिंगारी सुलगाई होगी, तब सभ्यता ने प्रकाश का पहला उत्सव मनाया था। ऋग्वेद के ऋषियों ने प्रार्थना की - 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' (हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो)। यह केवल कोई पूजा-मंत्र नहीं, बल्कि प्रकृति और काल के अंधेरे से जूझते मनुष्य का अमर संकल्प था।

आज हम जिस दीपोत्सव को बिजली की जगमगाती लड़ियों, पटाखों के शोर, सोने-चांदी के सिक्कों और चमचमाते गिफ़्ट हैंपर्स के रूप में देखते हैं, क्या वह ढाई हजार साल पहले भी ऐसा ही था?

इतिहास, साहित्य और पुरातत्व के पन्ने गवाही देते हैं कि आज की दीपावली एक दिन में नहीं बनी; यह 25 सदियों के सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मंथन की जीती-जागती गाथा है।

पाटलिपुत्र के गंगा तट से कश्मीर की घाटियों तक : प्राचीन ग्रंथों की गवाही समय के पहिये को पीछे घुमाएं, तो दीपोत्सव के अलग-अलग रूप विस्मय में डाल देते हैं :

मौर्य काल का कौमुदी महोत्सव (लगभग 300 ईसा पूर्व): मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की रातों तक 'कौमुदी महोत्सव' सजता था। गंगा और सोन नदी के संगम पर रात के समय हजारों दीप तैरती नौकाओं पर सजाए जाते थे। जल की सतह पर थिरकते ये दीये बताते हैं कि आज बनारस और हरिद्वार की जो 'देव-दीपावली' दुनिया को लुभाती है, उसकी जड़ें मौर्य साम्राज्य के जल-दीपदान में ही थीं।

कामसूत्र की 'यक्षरात्रि' (तीसरी-चौथी सदी): वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ में कार्तिक की इस स्याह रात को 'यक्षरात्रि' और 'सुखरात्रिका' कहा है। यह केवल पूजा का विधान नहीं, बल्कि नागर जीवन का एक लोकोत्सव था। लोग अपने घरों के चौबारों पर मिट्टी के दीपक जलाते, सामूहिक नृत्य-संगीत में मगन होते और पांसे (द्यूतक्रीड़ा) के खेल से रात भर जागकर उत्सव मनाते थे।

नीलमत पुराण का बर्फीला उजाला (छठी सदी): कश्मीर के सामाजिक इतिहास के प्रमाण 'नीलमत पुराण' के अनुसार, हिमालय की इन घाटियों में लोग कार्तिक की अमावस्या पर नए परिधान और आभूषण पहनकर मंदिरों व अपने आशियानों को दीपों से आलोकित करते थे। साथ ही, पितरों के मार्ग-दर्शन के लिए 'उल्का-भ्रमण' (मशालें जलाकर घुमाना) की परंपरा निभाई जाती थी।

सम्राट हर्ष और उपहारों का बाजार (सातवीं सदी): नाटक 'नागानन्द' में सम्राट हर्षवर्धन ने इसे 'दीप-प्रतिपदा' कहा है। वे लिखते हैं कि राजमहलों से लेकर आम बस्तियों तक दीप जलते थे और नवविवाहित जोड़ों को नए वस्त्र व उपहार दिए जाते थे। आज कॉर्पोरेट जगत में जो अरबों रुपये का गिफ़्ट-मार्केट दीवाली पर खड़ा दिखता है, उसका औपचारिक बीज सातवीं सदी में ही बो दिया गया था।

सफेदी और स्वच्छता का नियम (दसवीं सदी) : जैन आचार्य सोमदेव सूरि ने 'यशस्तिलकचम्पू' में उल्लेख किया है कि चौमासा (बरसात के चार महीने) बीतते ही लोग घरों की सीलन मिटाने के लिए चूने से पोताई करते थे, मुंडेरों को सजाते थे और संध्या होते ही छतों पर दीपमालाएं धरते थे। यानी वर्षा ऋतु के कीट-पतंगों को नष्ट करने और घर को स्वच्छ बनाने का यह व्यावहारिक विज्ञान सदियों पुराना है।

अलबरूनी की आँखें (ग्यारहवीं सदी) : विदेशी यात्री अलबरूनी ने 'किताब-उल-हिंद' में हैरान होकर दर्ज किया - ₹कार्तिक मास की जब सबसे घनी काली रात आती है, तो भारत के लोग अपने घरों, दीवारों और देवालयों को दीपों से यूं पाट देते हैं कि धरती पर तारों की चादर बिछी जान पड़ती है।₹ उसने यह भी लिखा कि लोग गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटने में असीम आनंद पाते थे।

आसमान में बारूदी रोशनी (पंद्रहवीं सदी): आतिशबाजी का चलन सल्तनत और विजयनगर काल के दौरान व्यापक हुआ। विजयनगर आए इतालवी मुसाफिर निकोलो कोंटी (1420 ई.) ने लिखा कि लोग रात भर तेल के दीये जलाते थे और रंग-बिरंगी आतिशी लपटों से आसमान को चकाचौंध कर देते थे।

इतिहास के युगांतरकारी मोड़ :

*जब रोशनी विचार बन गई

*दीपावली केवल ऋतु-परिवर्तन का उत्सव नहीं, बल्कि इस उपमहाद्वीप के महानतम विचारों और स्मृतियों का संगम है:

मर्यादा का राज्याभिषेक: 14 वर्ष के वनवास और रावण पर विजय के बाद जब भगवान श्रीराम अयोध्या लौटे, तो अवध की प्रजा ने अमावस्या की घोर कालिमा को घी के दीयों से धोकर पूर्णिमा में बदल दिया। यह विजय सत्ता की नहीं, सत्य और मर्यादा की थी।

सद्ज्ञान का अमर निर्वाण (527 ईसा पूर्व): पावापुरी की धरती पर जब चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया, तब काशी और कोशल के गणराज्यों के सोलह राजाओं ने एकत्र होकर कहा था—₹सद्ज्ञान का चेतना-सूर्य अस्त हो गया है, आओ हम माटी के दीये जलाकर उस आंतरिक आलोक को अमर कर दें।₹

दाता बंदी छोड़ का आगमन (1619 ई.): सिख परंपरा में यह दिन आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब छठे गुरु, गुरु हरगोविंद साहिब जी ने ग्वालियर के किले से 52 हिंदू राजाओं को मुग़ल कैद से छुड़ाकर श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर) की पवित्र भूमि पर कदम रखा, तो संगतों ने दीपमाला कर 'बंदी छोड़ दिवस' मनाया।

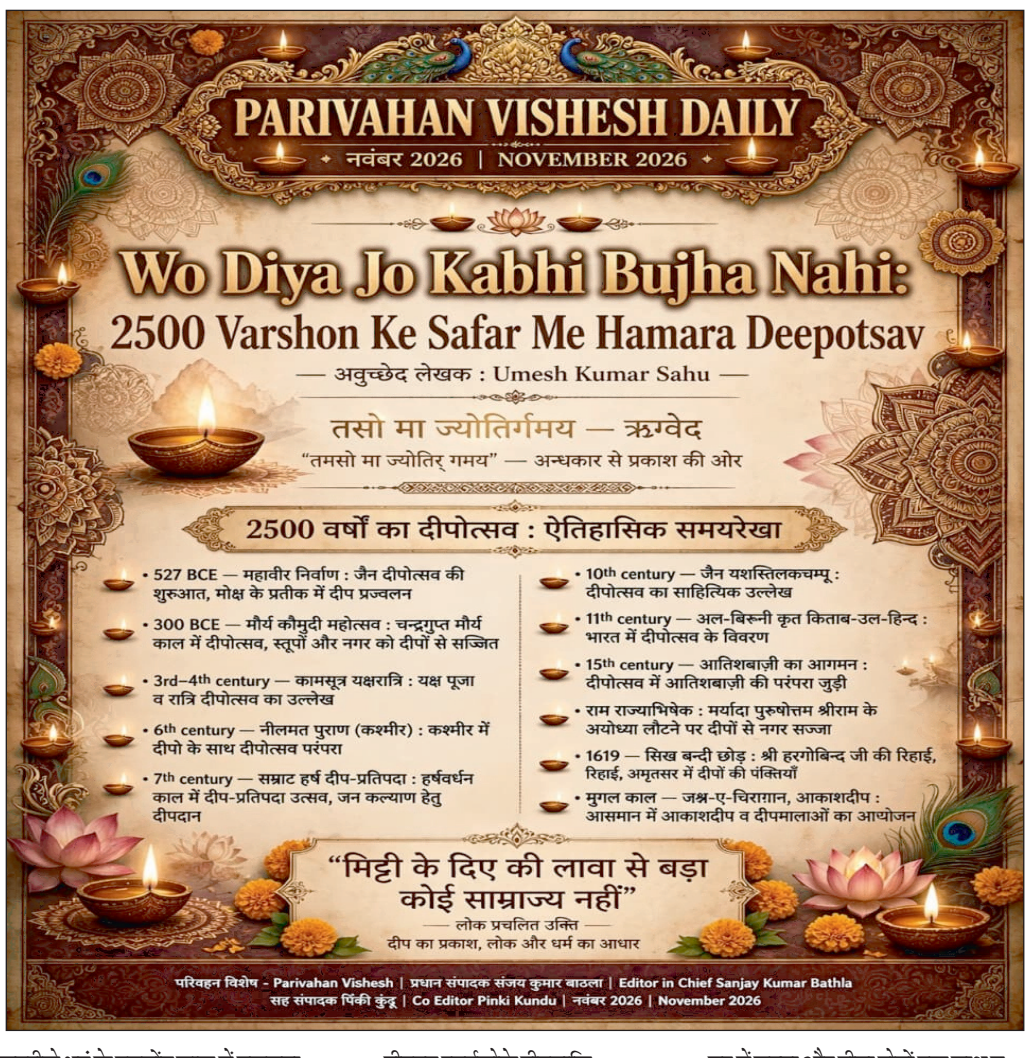
नवजागरण के संवाहक: आधुनिक भारत में अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध शंखनाद करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती और युवाओं को अध्यात्म का नया क्षितिज देने वाले स्वामी रामतीर्थ—दोनों ने अपने नश्वर शरीर को त्यागकर इसी दिन महासमाधि ली थी।

लाल किले का 'जश्न-ए-चिरागां' : हमारी साझी तहज़ीब मुग़ल दौर में दीपोत्सव मजहबी सीमाओं को लांघकर हिंदुस्तान की साझी तहज़ीब का आईना बन गया। अबुल फज़ल ने 'आईन-ए-अकबरी' में लिखा है कि बादशाह अकबर दीवाली की शाम महल के सामने 40 गज ऊंचे मजबूत बांस पर एक विशाल 'आकाशदीप' टंगवाते थे, जो कई मील दूर से चमकता था।

जहांगीर, शाह आलम और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के समय लाल किले में इसे आधिकारिक रूप से 'जश्न-ए-चिरागां' (दीपों का उत्सव) कहा जाता था। यमुना किनारे स्थित इस किले की प्राचीरें हजारों दीयों और कंदीलों से जगमगाती थीं, शाही नौबतखाने से शहनाइयां बजती थीं, और मुग़ल बेगमें हिंदू रानियों के साथ मिलकर महलों में दीये रखती थीं। रोशनी ने कभी किसी की इबादतगाह का पता नहीं पूछा।

यह सांस्कृतिक चेतना भारत की सीमाओं तक भी सीमित नहीं रही। इंडोनेशिया के 9वीं सदी के प्रम्बानान मंदिर के पत्थरों पर उकेरी रामायण हो, थाईलैंड का 'रामाकिएन' और दीप-पर्व 'लोय क्राथॉन्ग' हो, या कंबोडिया का 'रामकेर' - यह दीपोत्सव बताता है कि अंधेरे पर उजाले की विजय की मानवीय ललक पूरे एशिया के दिल में एक समान धड़कती रही है।

'धन' के उन्माद से 'धान्य' के कल्याण तक आज जब हमारा यह पावन पर्व हजारों करोड़ के कॉर्पोरेट बाज़ार, प्लास्टिक के दिखावटी कबाड़, स्टेटस सिंबल और



जहरीले धुएं के दमघोंटू जाल में उलझता जा रहा है, तब हमें इसके मूल मर्म की ओर लौटना होगा।

प्राचीन भारतीय मनीषा ने जिस लक्ष्मी की आराधना की थी, वह तिजोरियों में बंद बेजान 'धनलक्ष्मी' नहीं, बल्कि खेतों में लहलहाती, हर पेट को भरने वाली 'धान्यलक्ष्मी' थीं। वह श्रम का सम्मान थीं।

संस्कृत का एक कालजयी श्लोक कहता है:

दीपहर्ता भवेद्वन्ध्या तमोगति असुप्रभः।
दीपप्रद स्वर्गलोके दीपमालि विराजते॥

(अर्थात: जो दूसरों के जीवन से उजाला छीनता है, वह घोर अंधकार में भटकता है; और जो दूसरों की अंधेरी राहों में रोशनी भरता है, वही अमरत्व और दिव्यता को प्राप्त होता है।)

दीपावली का असली अर्थ किसी कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी के दीये को खरीदकर, उसकी कुटिया में भी दो जून की रोटी का प्रबंध करने में है। जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के घर में चूल्हा और दीया दोनों एक साथ न जलें, तब तक रोशनी का कोई भी उत्सव सम्पूर्ण नहीं हो सकता।

इस बार जब अपनी मुंडेरों पर दीये रखें, तो तेल और बाती के साथ मन में जमे अविश्वास, नफ़रत, संकीर्णता और निराशा के अंधेरे को भी होम कर दें।

मिट्टी के उस नन्हे दीये की विनम्र लौ से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं, जो खुद जलकर पूरी दुनिया को भरोसा दिलाता है कि रात चाहे कितनी भी घनी क्यों न हो, वह सुबह को रोक नहीं सकती।

निर्धारित समयावधि में पूरा करें एसआईआर कार्य का निपटान : डीसी

30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

*डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों की बैठक में की एसआईआर अभियान की समीक्षा

परिवहन विशेष न्यूज



झज्जर, 02 नवंबर

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए सभी कार्यों का निपटान निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए।

यह निर्देश डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने सीईओ हरियाणा के साथ वीसी उपरांत संबंधित अधिकारियों की बैठक में दिए। डीसी ने एसआईआर अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान के अंतर्गत जारी सभी नोटिस पर सुनवाई का कार्य शुक्रवार 20 नवंबर तक पूरा किया जाए। जिसके उपरांत 30 नवम्बर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। पुनरीक्षण से संबंधित प्रत्येक गतिविधि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

फॉर्म-6, 7 और 8 के आवेदनों का भी हो समय पर निपटारा

डीसी ने अधिकारियों को एसआईआर के दौरान प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदनों का भी नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने से संबंधित दावों के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन सहित अन्य निर्धारित सेवाओं के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है।

राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही दावे-आपत्तियों की सूची

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से जिला के चारों निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। दावों और आपत्तियों से संबंधित सूचियां प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही हैं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि दावों और आपत्तियों की सुपर-चेकिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

आगामी 30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के निर्देशानुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। साथ ही, मतदाता सूची से संबंधित प्रत्येक कार्रवाई में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम रेणुका नांदल, सीटीएम ऋचु, निर्वाचन उप तहसीलदार कुलदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

एकमुश्त कर निपटान योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान योजना व्यापारियों के लिए लाभकारी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर,02 नवम्बर

हरियाणा सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम को व्यापारियों ने प्राथमिकता देते हुए उसका भरपूर लाभ उठाया है। इस स्कीम की अभूतपूर्व कामयाबी को देखते हुए सरकार द्वारा एक बार फिर निपटान योजना की तिथि को बढ़ाकर अब 30 नवम्बर कर दिया है। व्यापारी वर्ग अब 30 नवम्बर 2026 तक इस योजना का लाभ उठाकर पुराने बकाया करों का भुगतान सकते हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने दी।

डीसी ने बताया कि इससे जीएसटी में कम से कम बकाया राशियों के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में अधिक से अधिक समय और ध्यान दिया जा सके।

डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा गत 1 जून से एक मुश्त निपटान स्कीम, 2026 शुरू की है। जिसके तहत सात कराधान अधिनियमों के तहत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान है। यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में 1 लाख रुपये तक का कर बकाया है तो उसे इस स्कीम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उस वर्ष के लिए उस अधिनियम में संपूर्ण कर, ब्याज एवं जुर्माना राशि माफ हो जाएगी। आवेदक अपने बकाया देय राशि के निपटान के लिए किसी भी अधिनियम में किसी भी वर्ष के लिए आवेदन कर सकता है। पूर्ववर्ती हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए विशेष छूट उपलब्ध है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को 1 अप्रैल, 2003 से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के लागू होने के साथ निरस्त कर दिया गया था। हरियाणा सामान्य बिक्री कर के तहत बकाया देय बहुत पुराने हैं, इसलिए 1 लाख से अधिक कर बकाया वाले सभी मामलों में 70 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

वैधानिक प्रपत्रों के जमा न करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि का होगा भुगतान

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स अजय कुमार ने बताया कि फार्म सी, फार्म एफ, फार्म एच, फार्म ई1, फार्म ई2, टैक्स इनवॉइस/वैट सी-4, वैट डी1, वैट डी2 आदि जैसे वैधानिक प्रपत्रों के न जमा करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि देय है। इन बकाया को विशेष रूप से लक्षित करने के लिए एक नई छूट प्रस्तावित की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अब ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है, तो उसके कर की मांग उन प्रपत्रों के प्रस्तुत करने से प्राप्त होने वाली छूट की राशि से घटा कर कम कर दी जाएगी, बशर्ते ये प्रपत्र तीन महीने के भीतर सत्यापित हो जाएं। यह लाभ ऐसे फर्जी/नकली फर्मों को उपलब्ध नहीं होगा जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। यह लाभ उन वैधानिक प्रपत्रों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें पहले प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह केवल हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से संबंधित बकाया राशि पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत प्रदान की गई कर छूट में एक रुपए से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, अन्य मामले में कर छूट का 70 प्रतिशत है। अन्य अधिनियमों के अधीन उपलब्ध छूट में एक रुपये से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, 1 लाख से 10 लाख तक 60 प्रतिशत, 10 लाख से 1 करोड़ तक 50 प्रतिशत, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक 35 प्रतिशत, 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक 30 प्रतिशत, 60 करोड़ रुपये से अधिक पर 0 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ब्याज तथा जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है।

बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ

डीईटीसी ने बताया कि आवेदक को प्रत्येक पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ उसके बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा। बकाया राशि निर्धारित करने वाले किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील या मुकदमे में शामिल आवेदक भी लंबित अपील या मुकदमे को वापस लेने की शर्त के साथ इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते है। निपटान की राशि का भुगतान किस्तों में करने की भी सुविधा स्कीम में दी जा रही है। पांच लाख रुपए तक के निपटान की



राशि के लिए कोई किस्त नहीं। पांच लाख रुपए से अधिक और पच्चीस लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए दो समान किस्तें। एक किस्त आवेदन जमा करते समय और दूसरी अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर। पच्चीस लाख रुपए से अधिक के निपटान की राशि के लिए तीन किस्तें होगी। आवेदन जमा करते समय निपटान राशि का 40 प्रतिशत, अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर दूसरी किस्त, निपटान राशि का 30 प्रतिशत और अंतरिम आदेश की तिथि से 120 दिनों के भीतर शेष राशि की तीसरी किस्त। ऐसे मामलों में जहां निपटान के लिए आवेदन सही पाया गया है और स्वीकार कर लिया गया है तो आवेदक के खिलाफ कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।

बाल भवन में चार दिवसीय बाल महोत्सव आज से : सुरेखा हुड्डा

बाल महोत्सव 2026 में दिखेगी नन्हे-मुन्नों की प्रतिभा, नृत्य-संगीत सहित होंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं

डीसी एवं जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष वर्षा खांगवाल करेंगी महोत्सव का शुभारंभ

झज्जर, 02 नवंबर।

स्थानीय बाल भवन में जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से 3 से 6 नवंबर तक चार दिवसीय बाल महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को डीसी एवं जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष वर्षा खांगवाल करेंगी। इस दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि बाल महोत्सव के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें नृत्य, संगीत, रागिनी, ललित कला, प्रश्नोत्तरी, भाषण सहित अन्य गतिविधियां शामिल रहेंगी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी रचनात्मक क्षमता को निखारने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बाल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभा को पहचानना, उन्हें प्रोत्साहित करना और अपनी कला एवं कौशल के प्रदर्शन के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है। जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से जिला के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को महोत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा को नई पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करते हैं।



समाधान शिविर जनसमस्याओं के समाधान का बेहतरीन प्लेटफार्म : एडीसी

-लघु सचिवालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में एडीसी जगनिवास ने सुनीं समस्याएं*

परिवहन विशेष न्यूज



झज्जर,02 नवम्बर।

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी सजगता व गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रभावी मंच साबित हो रहे हैं। यह बात एडीसी जगनिवास ने सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जनसुनवाई के दौरान कही। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाना ही उद्देश्य

एडीसी ने कहा कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को आयोजित होने वाले समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरल और प्रभावी माध्यम उपलब्ध करवाना है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहते हैं, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना के साथ जनसेवा को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सोच के अनुरूप प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

शिकायतों का आपसी समन्वय से तत्काल समाधान जरूरी

एडीसी जगनिवास ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की लगातार निगरानी की जा रही है। अब तक प्राप्त अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखें, बल्कि उनके समाधान की प्रक्रिया पर भी नियमित नजर रखें।

पीपीपी आईडी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामले पहुंचे

समाधान शिविर में नागरिक परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़े मामलों को भी नागरिकों ने अधिकारियों के समक्ष रखा। एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया गया।

एडीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतों को सुनना नहीं, बल्कि नागरिकों को प्रभावी समाधान उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करें।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ मनीष फोगाट, सीटीएम ऋचु, डीडीपीओ निशा तंवर, एडीटीओ राजेश मलिक, एमिनेंट पर्सन चुन्नी लाल सैनी, सुरेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

गोवंश की सेवा सामाजिक जिम्मेदारी का कार्य : एसडीएम

बेरी स्थित ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गौशाला में एसडीएम रेणुका नांदल ने नवनिर्मित शेड का किया उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

बेरी (झज्जर), 02 नवंबर। स्थानीय ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गौशाला परिसर में सोमवार को एसडीएम रेणुका नांदल ने दुधारू गायों के लिए नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गौशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जयभगवान जांगड़ा और अन्य पदाधिकारियों ने एसडीएम का स्वागत किया।

गौशाला प्रधान जयभगवान जांगड़ा ने एसडीएम रेणुका नांदल को गौशाला की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि प्रदेश सरकार गौसंरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गोवंश का संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता भी जरूरी है। गौशालाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुधारू गायों के लिए नवनिर्मित शेड एक सराहनीय पहल है। इससे गायों को बेहतर आश्रय मिलेगा और उनकी देखभाल करने में भी सुविधा होगी।

एसडीएम ने गौशाला प्रबंधन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गोवंश की सेवा और संरक्षण पुण्य के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का कार्य भी है। गौशालाओं में स्वच्छता, पर्याप्त चारे-पानी तथा पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। समाज के लोगों और सामाजिक संगठनों को भी गौशालाओं के संचालन एवं विकास में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए।



यह गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद

इस अवसर पर सूबेदार धीर सिंह, गौशाला सचिव नरेश कादयान, सुपरवाइजर जितेंद्र शर्मा, चरण सिंह, जगवीर सिंह, पंडित ईश्वर, श्याम सुंदर शर्मा, रामधन शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, वाहनों के चालान के साथ होंगे इंपाउंड

रोड डस्ट, कूड़ा जलाने और निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा जलने पर संबंधित सरपंच की होगी जवाबदेही : डीसी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 2 नवंबर। राजधानी से सटे झज्जर जिला में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि धरातल पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों पर उड़ती धूल, खुले में कूड़ा जलाने, निर्माण स्थलों से फैलने वाले प्रदूषण और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरती जाए।

डीसी ने कहा कि सड़क किनारे धूल वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए। रोड डस्ट पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जाएं और कचरे का अनुचित निस्तारण करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

डीसी ने अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण सामग्री को खुले में न रखा जाए और उसे तिरपाल आदि से ढककर रखना सुनिश्चित किया जाए। निर्माण कार्यों के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की पालना करवाई जाए। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहन नहीं बचेंगे कार्रवाई से

डीसी वर्षा खांगवाल ने यातायात एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान करने के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें इंपाउंड भी किया जाए। उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए।

होटल-ढाबों के तंदूर भी रहेंगे निगरानी के दायरे में

डीसी ने होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले तंदूर से निकलने वाले धुएं पर भी विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप ईंधन का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।

डीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि गांवों में कहीं भी कूड़ा जलता पाया गया तो संबंधित सरपंच की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने और कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

स्वच्छ हवा के लिए जनसहयोग जरूरी : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। लोग खुले में कूड़ा-कचरा और पत्तियां न जलाएं, निर्माण सामग्री को ढककर रखें तथा कचरे का उचित निस्तारण करें। वाहन चालक अपने वाहनों की नियमित सर्विसिंग करवाएं और प्रदूषण संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करें।





उन्होंने होटल एवं ढाबा संचालकों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी पर्यावरण संरक्षण के नियमों की पालना करने का आह्वान किया। डीसी ने कहा कि विभागीय समन्वय, नियमित निगरानी और जनभागीदारी से ही वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।

MCD ओल्ड दिल्ली जोन में 2000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती स्थगित

30 अक्टूबर का वर्क ऑर्डर प्रशासनिक कारणों से रोका गया, 3 नवंबर से मैनपावर मोबिलाइज न करने का निर्देश – जनहित में स्वच्छता अभियान पर सवाल?

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

प्रस्तावना: राजधानी दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। नगर निगम दिल्ली (MCD) के ओल्ड दिल्ली जोन ने सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई के लिए 2000 अतिरिक्त अकुशल सफाई कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित वर्क ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।

तथ्य:

- आदेश संख्या: EE(DEMS)/ODZ/MCD/2026-27/D-284

– दिनांक: 02 नवंबर 2026

- जारीकर्ता कार्यालय: कार्यकारी अभियंता (DEMS), ओल्ड दिल्ली जोन, MCD, तीसरी मंजिल, ओल्ड हिंदू कॉलेज, कश्मीरी गेट, दिल्ली

– संदर्भ आदेश: D-281 दिनांक 30.10.2026

मुख्य बिंदु:

1. योजना क्या थी: ओल्ड दिल्ली जोन के अंतर्गत सड़कों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सफाई गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु तीन महीने की अवधि के लिए 2000 अतिरिक्त अकुशल सफाई कर्मचारियों को तैनात किया जाना था।

2. नया आदेश क्या है: 2 नवंबर के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया वर्क ऑर्डर अब स्थगित (kept in abeyance) रखा गया है।

3. स्पष्ट निर्देश: एजेंसी को निर्देशित किया गया है कि 03 नवंबर 2026 से किसी भी प्रकार की मैनपावर मोबिलाइजेशन (जनशक्ति तैनाती) न की जाए।

4. कारण: आदेश में प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है, विस्तृत कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी प्रति सहायक आयुक्त, ओल्ड दिल्ली जोन को भी प्रेषित की गई है।

विश्लेषण – जनहित पर असर:

त्योहारी सीजन के बाद और सर्दियों में प्रदूषण व कचरा प्रबंधन की चुनौती के बीच 2000 कर्मचारियों की तैनाती स्थगित होने से ओल्ड दिल्ली के घनी आबादी वाले बाजारों – चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीरी गेट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। MCD के इस निर्णय से स्वच्छता अभियान की निरंतरता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

निष्कर्ष: यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि MCD द्वारा यह स्थगन अस्थायी है या इस कार्य के लिए नई निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जनहित में स्वच्छ दिल्ली के लिए त्वरित निर्णय आवश्यक है।

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (DEMS)/OLD DELHI ZONE
3RD FLOOR, OLD HINDU COLLEGE, KASHMERE GATE, DELHI-110006

No. EE(DEMS)/ODZ/MCD/2026-27/D- 284 Date: 02.11.2026

M/s Bluspring Enterprises Limited
B-1/1-1st Floor
Mohan Cooprative Industrial Estate
Mathura Road, Badarpur, Delhi – 110044

Kind attention: - Sh. Anuj Varma, Authorized representative.

Subject:- Deployment of 2000 additional Unskilled Safai Karamcharis/Manpower for a period of three months for carrying out sanitation activities on roads, market places and other public areas under the jurisdiction of Municipal Corporation of Delhi.

Reference:- EE(DEMS)/ODZ/MCD/2026-27/D-281 dated 30.10.2026

Sir

This is to convey that die to administrative reasons, Work order issued to you vide this office letter no. Dated 30/10/26 is hereby kept abeyance.

It is therefore requested not to mobilise any manpower w.e.f. 03/11/2026

Executive Engineer (DEMS)
Old Delhi Zone, MCD

राजस्थान के 4 DTC की मंजूरी रद्द! - केंद्र सरकार का सख्त एक्शन

अनियमितताओं के चलते MoRTH ने रद्द की मंजूरी, सड़क सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं

रिपोर्ट संजय कुमार बाठला प्रधान संपादक



केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) IDTR/RDTC/DTC योजना के तहत केंद्रों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी करता है। संसद में 6 अगस्त 2025 (राज्यसभा प्रश्न 2032) और 3 अप्रैल 2025 (लोकसभा प्रश्न 464) के उत्तरों में MoRTH ने बताया कि अब तक 87 केंद्र स्वीकृत, 27 क्रियाशील हैं और निगरानी एजेंसी CIRT पुणे है। अनियमितता पर मंजूरी रद्द करने का प्रावधान है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान में विभिन्न अनियमितताओं के चलते 4 ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर (DTC) की मंजूरी रद्द कर दी है। यह कदम सड़क सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण चालक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

रद्द किए गए केंद्र – मुख्य बिंदु:

1) भरतपुर का जगदम्बा फिटनेस सेंटर ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर

2) श्रीगंगानगर का बालाजी फिटनेस सेंटर DTC

3) चूरू का बालाजी फिटनेस सेंटर DTC

4) पीलीबंगा हनुमानगढ़ का रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर

अंतिम आधिकारिक सूची के लिए http://parivahan.gov.in / MoRTH अधिसूचना देखना उचित है।

कारण:

- केंद्र सरकार द्वारा इन सेंटरों में पाई गई गड़बड़ियां और नियमों की अनदेखी
- CIRT पुणे की निगरानी रिपोर्ट में ट्रैक, सिम्युलेटर, भूमि और प्रशिक्षण मानकों में कमी
- निर्धारित समय-सीमा में परियोजना पूर्ण न करना और मानकों का पालन न करना

MoRTH की योजना: सरकार IDTR (प्रति 2.5 करोड़ आबादी पर एक), RDTC (प्रति 1 करोड़ पर एक) और DTC योजना चला रही है। योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक वाहन चालकों को प्रशिक्षण, कौशल परीक्षण के आधार पर लाइसेंस और रोजगार सृजन है। योजना 15वें वित्त आयोग अवधि (2021-26) तक लागू है।

जनहित संदेश: चालकों से अपील है कि केवल MoRTH मान्यता प्राप्त केंद्रों से ही प्रशिक्षण लें और फर्जी प्रमाण-पत्रों से बचें।

10 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 5 राज्यों में हुई गिरफ्तारी

राजधानी दिल्ली में 2.21 लाख रुपये की साइबर जालसाजी की जांच करते हुए दक्षिण-पश्चिम जिला साइबर पुलिस को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ठगी नेटवर्क का सुराग मिला है।

प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ाया तो 10 करोड़ रुपये से अधिक की कथित साइबर धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क की जानकारी सामने आई।

इस मामले में मध्य प्रदेश के जबलपुर से मिले सुराग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक अपेक्षाकृत छोटी रकम की शिकायत से शुरू हुई जांच अब बड़े पैमाने पर साइबर अपराध और अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की पड़ताल तक पहुंच गई है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में एक व्यक्ति से 2.21 लाख रुपये की साइबर ठगी की शिकायत सामने आई थी।

मामले की जांच दक्षिण-पश्चिम जिला साइबर पुलिस को सौंपी गई। पुलिस ने शिकायत से जुड़े वित्तीय लेनदेन और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल शुरू की।

इसी दौरान जांच की कड़ियां मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ती दिखाई दीं।* जबलपुर से मिले सुराग के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई तो पुलिस को कथित तौर पर ऐसे नेटवर्क की जानकारी मिली, जिसका संबंध 10 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से बताया जा रहा है।

फर्जी ट्रैफिक चालान के लिंक से हुई थी ठगी

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार, 28 नवंबर 2025 को साइबर थाने में 2.21 लाख रुपये की ठगी की ई-एफआईआर दर्ज हुई थी।

पीड़ित को यातायात नियमों के उल्लंघन का चालान भरने के नाम पर एक एसएमएस भेजा गया था।

संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड से 2.21 लाख रुपये की अनधिकृत निकासी हो गई।

पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की तो पता चला कि इसी तरह के फर्जी संदेश बड़ी संख्या में लोगों को भेजे जा रहे थे। जांच में लगभग 3,300 संदिग्ध एसएमएस भेजे जाने की जानकारी सामने आई।

जबलपुर के स्कूली छात्र के मोबाइल से खुला राज पुलिस ने फर्जी संदेश भेजने वाले मोबाइल नंबर की जांच की तो उसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के जबलपुर से मिला। सिम कार्ड नितेश पटेल के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन उसका इस्तेमाल उनका स्कूली छात्र भांजा कर रहा था।छात्र के मोबाइल की जांच में 'विंगो कैश' नाम का एक एप मिला। यह एप उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिला था। जांच में पता चला कि मोबाइल से करीब 3,300 फर्जी चालान संदेश अपने आप भेजे जा चुके थे।पुलिस के मुताबिक, एप इस्तेमाल करने वाले लोगों को छोटे-छोटे रिवॉर्ड दिए जाते थे। जब उपयोगकर्ता रिवॉर्ड हासिल करने की प्रक्रिया पूरी करते थे, तब उनके मोबाइल की स्क्रीन लगभग 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाती थी। इसी दौरान एप फोन से नौ से 12 फर्जी एसएमएस भेज देता था।

एक से तीन रुपये का लालच देकर मोबाइल का इस्तेमाल जांच में सामने आया कि विंगो कैश एप के माध्यम से लोगों को एक से तीन रुपये तक का रिवॉर्ड दिया जाता था। उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी नहीं होती थी कि उनके मोबाइल से दूसरे लोगों को संदिग्ध लिंक वाले संदेश भेजे जा रहे हैं।इन संदेशों में ट्रैफिक चालान, डिलीवरी पते के सत्यापन और रिवॉर्ड प्वाइंट के नाम पर लिंक भेजे जाते थे। लिंक खोलने वाले लोगों को फर्जी वेबसाइटों पर ले जाकर उनकी बैंकिंग और कार्ड संबंधी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता था।इस तरीके से साइबर अपराधियों ने सामान्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं के फोन को अपने फिशिंग नेटवर्क का हिस्सा बना लिया था।

कुवैत के बैंक खाते तक पहुंची जांच पुलिस ने जब पीड़ित के 2.21 लाख रुपये के लेनदेन की जांच की तो उसका वित्तीय सुराग नेशनल बैंक ऑफ कुवैत के एक खाते तक पहुंचा।इसके बाद जांचकर्ताओं ने अपनी रणनीति बदली और यह पता लगाना शुरू किया कि रिवॉर्ड एप के उपयोगकर्ताओं को भुगतान कहां से किया जा रहा था।इस पड़ताल में मुंबई की श्री बालाजी एंटरप्राइजेज के नाम पर संचालित बैंक खाते की जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, इस खाते से केवल तीन दिनों में 41 हजार से अधिक उपयोगकर्ताओं को छोटे-छोटे भुगतानों के रूप में लगभग दो करोड़ रुपये भेजे गए थे।इस लेनदेन की जांच से गिरोह के बैंकिंग नेटवर्क का पता चला।

पांच राज्यों में छापेमारी, पांच आरोपी गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने तकनीकी और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर मुंबई, लखनऊ, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और पंजाब में कार्रवाई की।पुलिस ने राजस्थान के उदयपुर निवासी मोती सिंह बघेला, उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी हर्षपाल, दिल्ली निवासी विक्की, उदयपुर निवासी विशाल दास वैष्णव और पंजाब के मलेरकोटला निवासी बृजेश कुमार को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार, आरोपियों की अलग-अलग भूमिकाएं थीं। कुछ बैंक खाते संचालित करते थे, जबकि अन्य कथित तौर पर फर्मों के दस्तावेज तैयार कराने, कमीशन पर खाते खुलवाने और बैंकिंग सामग्री उपलब्ध कराने में शामिल थे।

544 शिकायतों से जुड़ा नेटवर्क जांच में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 544 शिकायतों का संबंध इस नेटवर्क से सामने आया है। पुलिस के अनुसार, संबंधित खातों में 10 करोड़ रुपये से अधिक के ठगी से जुड़े लेनदेन की जानकारी मिली है।आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल फोन और टैबलेट, 59 डेबिट कार्ड, 52 पासबुक और चेकबुक, 14 कंपनियों की मुहरें, पांच पीओएस मशीनें, आठ क्यूआर स्कैनर, एक सोने की चेन और एक कार बरामद की गई है।

साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, संदिग्ध बैंक खातों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपर्कों की जांच कर रही है। कुवैत से जुड़े लेनदेन की पूरी श्रृंखला स्पष्ट होना अभी बाकी है।इस मामले ने दिखाया है कि छोटे रिवॉर्ड देने वाले संदिग्ध मोबाइल एप भी साइबर अपराध का माध्यम बन सकते हैं। लोगों को अनजान लिंक खोलने, अविश्वसनीय एप डाउनलोड करने और एसएमएस से आए चालान भुगतान लिंक पर बैंकिंग जानकारी दर्ज करने से बचना चाहिए।



भोजूबीर सब्जी मंडी के पास बंद प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर,कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा,सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता

निजी संपत्ति में संचालित होता था विद्यालय,मकान पर मालिकाना हक को लेकर दो लोगों के बीच विवाद के बाद बंद है प्राथमिक विद्यालय,न्यायालय में मामला लंबित होने की चर्चा

(संतोष कुमार सिंह)



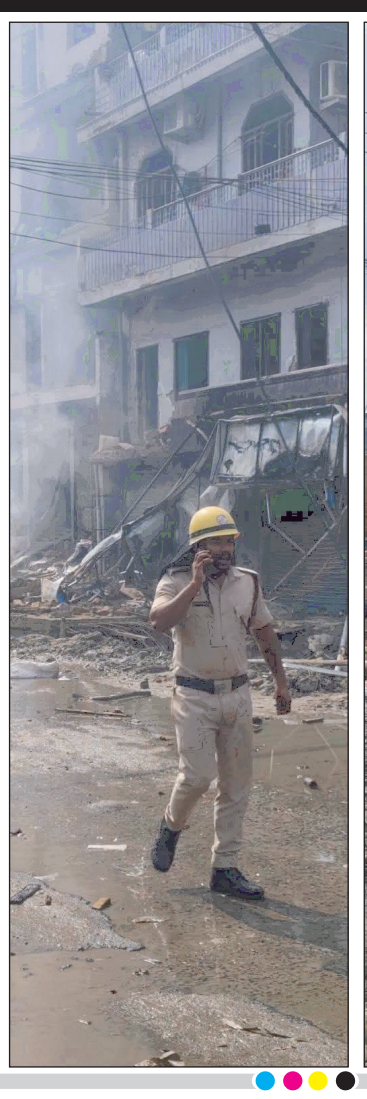
वाराणसी :- सिंधोरा मार्ग पर भोजूबीर सब्जी मंडी के पास मुख्य सड़क किनारे स्थित वर्षों से बंद प्राथमिक विद्यालय का भवन अब बेहद जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। भवन की दीवारें और छत जगह - जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं छज्जे की हालत भी काफी खराब है तथा भवन के ऊपर और आसपास बड़ी-बड़ी घास एवं झाड़ियां उग आई हैं। भवन की मौजूदा स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि समय रहते इसकी सुध नहीं ली गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में भोजूबीर व्यापार मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता से फोन पर वार्ता कर जर्जर भवन के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जिस मकान की हालत वर्तमान में जर्जर हो चुकी है उसमें पहले प्राथमिक विद्यालय संचालित होता था। मकान पर मालिकाना हक को लेकर दो लोगों के बीच आपसी विवाद हो गया था जिसके बाद विद्यालय काफी समय से बंद पड़ा है।

व्यापार मंडल अध्यक्ष ने आगे बताया कि उक्त मकान को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद का मामला न्यायालय में लंबित होने की जानकारी मिली है इसी वजह से लंबे समय से मकान की देखरेख नहीं हो पा रही है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि भोजूबीर सब्जी मंडी के पास मुख्य मार्ग पर स्थित यह मकान अब काफी जर्जर हो चुका है। देखभाल और मरम्मत के अभाव में भवन कभी भी गिर सकता है ऐसे में इसकी चपेट में सड़क से आने- जाने वाले राहगीर,सब्जी मंडी के व्यापारी, ग्राहक तथा अन्य स्थानीय नागरिक आ सकते हैं यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी गंभीर जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी होगा।मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण इस भवन से हर समय लोगों की आवाजाही बनी रहती है इसके बावजूद अब तक इसकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है। स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों के बीच भी भवन की जर्जर हालत को लेकर चिंता बनी हुई है। इस गंभीर मामले को लेकर वाराणसी नगर निगम को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।

नगर निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा भवन का स्थलीय निरीक्षण कर उसकी सुरक्षा स्थिति का आकलन कराया जाए और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मकान के मालिकाना हक का विवाद न्यायालय में लंबित होने के बावजूद आम जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह जर्जर भवन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।।

मुजफ्फरपुर में भीषण धमाका! गैस पाइपलाइन ब्लास्ट से दहला डुमरी रोड, एक की मौत की खबर, 15 से अधिक घायल







परिवहन विशेष न्यूज

मुजफ्फरपुर के घोबरसही चौक स्थित डुमरी रोड पर नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका होने से इलाके में भीषण अफरातफरी मच गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देने की बात सामने आई है।

ब्लास्ट के बाद आसपास के मकानों के परखच्चे उड़ गए और मलबा सड़कों पर बिखर गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, करीब 50 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई नजदीकी मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। हादसे में एक बाइक सवार की मौत की खबर है, जबकि 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। हालांकि, मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

धमाके की चपेट में राहगीरों के साथ कार, बाइक और जेसीबी से गुजर रहे लोग भी आए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मलबे में किसी के दबे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है।

आखिर नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन में धमाका कैसे हुआ? हादसे की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी।

परंपराओं का प्रकाश: मिट्टी के दीयों की अनकही कहानी



बदलते समय के साथ बाजार में बिजली की लड़ियाँ, रंगीन बल्ब, एलईडी और सजावटी लाइटों का प्रचलन बढ़ा है। इनसे त्योहारों की सजावट आकर्षक अवश्य बनती है, लेकिन इनके कारण पारंपरिक मिट्टी के दीयों का उपयोग कई स्थानों पर कम हुआ है। इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव कुम्हार समुदाय पर पड़ा है। मशीनों से बनने वाली सस्ती सजावटी वस्तुओं और आधुनिक विकल्पों के कारण पारंपरिक कारीगरों को उचित मूल्य और बाजार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।



● डॉ. विजय गर्ग



भारतीय संस्कृति में मिट्टी के दीयों का स्थान केवल प्रकाश फैलाने वाले साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, सादगी और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में भी रहा है। सदियों से मिट्टी का एक छोटा-सा दीपक अंधकार को दूर करने, आशा जगाने और जीवन में सकारात्मकता का संदेश देने का माध्यम बना हुआ है। दीपावली हो, कार्तिक पूर्णिमा, गुरुपर्व, विवाह समारोह या कोई अन्य धार्मिक उत्सव, मिट्टी के दीयों की उपस्थिति भारतीय जीवन की सुंदर परंपराओं को जीवंत करती है।

मिट्टी से जुड़ी हमारी सांस्कृतिक पहचान

मिट्टी का दीपक भारतीय ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसे बनाने वाला कुम्हार मिट्टी को आकार देकर एक साधारण वस्तु को सुंदर और उपयोगी दीपक में बदल देता है। इसमें उसकी मेहनत, कला, अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा छिपी होती है।

एक समय था जब लगभग प्रत्येक गाँव में कुम्हारों के घरों में चाक घूमता था। त्योहारों से पहले परिवार के सभी सदस्य दीये बनाने, सुखाने और पकाने में जुट जाते थे। बच्चे भी इस प्रक्रिया को देखकर पारंपरिक कला सीखते थे। इस प्रकार मिट्टी के दीये केवल बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं, बल्कि परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा थे।

दीपक का आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश

भारतीय दर्शन में दीपक का विशेष महत्व है। उसकी लौ अज्ञान से ज्ञान, निराशा से आशा और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक मानी जाती है। दीप जलाने का अर्थ केवल घर को रोशन करना नहीं, बल्कि अपने भीतर विवेक, करुणा और सद्भाव की भावना को जागृत करना भी है।

एक छोटा-सा दीपक हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया जा सकता है। उसका प्रकाश यह संदेश देता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी-सी लौ उसे चुनौती देने की क्षमता रखती है।

आधुनिकता के बीच परंपराओं की चुनौती

बदलते समय के साथ बाजार में बिजली की लड़ियाँ, रंगीन बल्ब, एलईडी और सजावटी लाइटों का प्रचलन बढ़ा है। इनसे त्योहारों की सजावट आकर्षक अवश्य बनती है, लेकिन इनके कारण पारंपरिक मिट्टी के दीयों का उपयोग कई स्थानों पर कम हुआ है।

इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव कुम्हार समुदाय पर पड़ा है। मशीनों से बनने वाली सस्ती सजावटी वस्तुओं और आधुनिक विकल्पों के कारण पारंपरिक कारीगरों को उचित मूल्य और बाजार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हमें समझना होगा कि मिट्टी का दीपक खरीदना केवल एक वस्तु खरीदना नहीं, बल्कि किसी कारीगर के श्रम, उसकी कला और उसके परिवार की आजीविका का सम्मान करना है।

पर्यावरण और स्वदेशी अर्थव्यवस्था का महत्व

मिट्टी के दीये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री से बनाए जाते हैं। उपयोग के बाद मिट्टी का दीपक आसानी से प्रकृति में मिल सकता है। हालांकि, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए तेल, बाती और सजावट में भी सुरक्षित तथा प्राकृतिक विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

स्थानीय कुम्हारों से दीये खरीदने से छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह आत्मनिर्भरता और स्थानीय हस्तशिल्प को संरक्षण देने का भी एक प्रभावी तरीका है।

नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ने की आवश्यकता

आज आवश्यकता है कि बच्चों को मिट्टी के दीये बनाने की कला, उनके सांस्कृतिक महत्व और कुम्हारों के योगदान से परिचित कराया जाए। विद्यालयों में मिट्टी के दीये बनाने की गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। त्योहारों पर स्थानीय कारीगरों से दीये खरीदने और उन्हें सम्मान देने की परंपरा विकसित की जानी चाहिए।

डिजिटल युग में आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना उचित नहीं। आधुनिक सजावट के साथ पारंपरिक दीयों को भी स्थान देकर हम विकास और विरासत के बीच सुंदर संतुलन बना सकते हैं।

निष्कर्ष

मिट्टी का दीपक आकार में छोटा अवश्य है, लेकिन उसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व बहुत बड़ा है। उसकी लौ में कुम्हार की मेहनत, हमारी परंपराओं की खुशबू, प्रकृति से जुड़ाव और मानवीय संवेदनाओं का प्रकाश समाहित है।

आइए, इस बार त्योहारों पर केवल घरों को ही नहीं, बल्कि पारंपरिक कारीगरों के जीवन को भी रोशन करें। मिट्टी के दीये जलाकर हम अपनी संस्कृति, स्थानीय कला और सदियों पुरानी विरासत को जीवित रख सकते हैं। क्योंकि सच्चा उत्सव वही है, जिसमें खुशियों के साथ अपनी परंपराओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति सम्मान भी शामिल हो।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब – 152107

आबादी के बीच बारूद का भंडार: सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल



डॉ. विजय गर्ग

किसी भी शहर या कस्बे में रहने वाले नागरिकों की सबसे बड़ी अपेक्षा सुरक्षित जीवन की होती है। घर, विद्यालय, अस्पताल, बाजार और सार्वजनिक स्थान तभी सुरक्षित माने जा सकते हैं, जब वहाँ आग, विस्फोट और अन्य दुर्घटनाओं का खतरा न्यूनतम हो। लेकिन जब घनी आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास बारूद, विस्फोटक सामग्री या ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया जाता है, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का विषय नहीं रहता, बल्कि हजारों लोगों के जीवन और भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है।

बारूद और विस्फोटक पदार्थ अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इनके भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए विशेष सुरक्षा मानकों, प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा निर्धारित स्थानों की आवश्यकता होती है। थोड़ी-सी असावधानी, तकनीकी खराबी, आग या मानवीय गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे हादसों का प्रभाव केवल संबंधित परिसर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के घरों, दुकानों, विद्यालयों और अन्य संस्थानों तक फैल सकता है।

विकास के साथ सुरक्षा भी जरूरी

शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। जो स्थान कभी आबादी से दूर हुआ करते थे, वे आज आवासीय कॉलोनियों और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच आ चुके हैं। ऐसे में पुराने भंडारण स्थलों की समीक्षा करना आवश्यक है। किसी समय सुरक्षित माने गए स्थान भी बदलती परिस्थितियों में जोखिमपूर्ण बन सकते हैं।

प्रशासन की जिम्मेदारी केवल किसी गोदाम को लाइसेंस जारी करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। समय-समय पर सुरक्षा निरीक्षण, भंडारण क्षमता की जांच, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास और आसपास की आबादी से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन भी आवश्यक है।

नियमों का पालन और जवाबदेही

विस्फोटक पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों और तकनीकी मानकों का कठोरता से पालन होना चाहिए। भारत में विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 इस क्षेत्र के नियमन का महत्वपूर्ण आधार हैं।

लाइसेंस प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं कि किसी प्रतिष्ठान को सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों से छूट मिल गई है। संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण करना चाहिए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

सुरक्षा संबंधी जानकारी को अनावश्यक रूप से छिपाने के बजाय नागरिकों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि संभावित खतरों की पहचान और रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था मौजूद है।

नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि

घनी आबादी के बीच विस्फोटक सामग्री का भंडारण होने पर आसपास रहने वाले लोगों की चिंताएँ स्वाभाविक हैं। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके निवास के आसपास किस प्रकार की जोखिमपूर्ण गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और उनसे बचाव के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं।

स्थानीय प्रशासन को आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार रखनी चाहिए। अग्निशमन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। आसपास के लोगों को आपातकालीन स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी जानी चाहिए।

विद्यालयों, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थित जोखिमपूर्ण प्रतिष्ठानों का विशेष मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

पर्यावरण और मानवीय जीवन का प्रश्न

विस्फोट या आग की घटनाएँ केवल जान-माल का नुकसान नहीं करतीं, बल्कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आसपास के पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकती हैं। दुर्घटना के बाद प्रभावित परिवारों को लंबे समय तक मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए सुरक्षा को केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बारूद का भंडार और घनी आबादी का क्षेत्र एक साथ हों, तो सुरक्षा संबंधी प्रत्येक पहलू की गंभीरता से समीक्षा आवश्यक है। प्रश्न किसी उद्योग या व्यवसाय के विरोध का नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और कानून के प्रभावी पालन का है।

विकास तभी सार्थक है, जब उसके साथ सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। प्रशासन को संभावित खतरों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

आखिरकार, किसी भी शहर की वास्तविक प्रगति उसकी ऊँची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े उद्योगों से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि वहाँ रहने वाला प्रत्येक नागरिक कितना सुरक्षित महसूस करता है। आबादी के बीच बारूद का भंडार केवल एक स्थान का मामला नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़ा प्रश्न है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब –

तर्क और विज्ञान के युग में अंधविश्वासों की चुनौती

डॉ. विजय गर्ग



हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहाँ मानव ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। मनुष्य चंद्रमा और मंगल तक पहुँच चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से नई संभावनाओं की खोज कर रहा है और चिकित्सा विज्ञान ने अनेक गंभीर बीमारियों के उपचार में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसके बावजूद समाज में अंधविश्वास, भ्रम और निराधार मान्यताओं का प्रचलन आज भी जारी है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में भी मनुष्य अंधविश्वासों से पूरी तरह मुक्त क्यों नहीं हो पाया है?

अंधविश्वासों की जड़ें

अंधविश्वासों की जड़ें अक्सर अज्ञानता, भय, असुरक्षा और अधूरी जानकारी में होती हैं। प्राचीन समय में जब मनुष्य के पास प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, तब वह बिजली चमकने, ग्रहण लगने, बीमारियाँ फैलने और प्राकृतिक आपदाओं को अलौकिक शक्तियों से जोड़ देता था। समय के साथ इनमें से कई धारणाएँ लोकविश्वास और परंपराओं का रूप ले गईं।

आज विज्ञान ने ऐसी अनेक घटनाओं की स्पष्ट व्याख्या कर दी है, लेकिन पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं को बदलना आसान नहीं होता। कई लोग बिना सोचे-समझे उन्हीं बातों पर विश्वास करते रहते हैं, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपने परिवार या समाज में सुना होता है।

यह समझना गलत है कि अंधविश्वास केवल अशिक्षित लोगों में ही पाया जाता है। कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी ज्योतिष, कुंडली, शुभ-अशुभ समय, अंकों के प्रभाव और निराधार धारणाओं पर विश्वास करते हैं।

इसका मुख्य कारण यह है कि डिग्री प्राप्त करना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना दो अलग-अलग बातें हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने, तथ्यों की जाँच करने और तर्क के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है।

भय और असुरक्षा का फायदा

मानव जीवन में बीमारी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएँ और भविष्य की अनिश्चितता जैसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। ऐसे समय में लोग मानसिक सहारे और त्वरित समाधान की तलाश करते हैं। कुछ लोग इस मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर चमत्कारों, तंत्र-मंत्र, जादू-टोने और अलौकिक शक्तियों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं।

कई बार बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय झाड़-फूँक या अवैज्ञानिक उपचारों में उलझा दिया जाता है। इससे कीमती समय और धन बर्बाद होता है तथा कई बार मरीज की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान योग्य चिकित्सक की सलाह और वैज्ञानिक उपचार के माध्यम से ही करना चाहिए।

सोशल मीडिया ने बढ़ाई चुनौती

डिजिटल युग में जानकारी तक पहुँच आसान हो गई है, लेकिन गलत सूचनाओं का प्रसार भी बहुत तेज हो गया है। व्हाट्सऐप, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहें, चमत्कारी इलाज के दावे और निराधार भविष्यवाणियाँ तेजी से फैलती हैं।

कई लोग किसी संदेश की सत्यता जाँचे बिना उसे आगे भेज देते हैं। इस तरह अंधविश्वास आधुनिक तकनीक की सहायता से और तेजी से फैलता है। हमें किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले उसके स्रोत, प्रमाण और वैज्ञानिक आधार की जाँच करनी चाहिए।

वैज्ञानिक सोच ही वास्तविक समाधान

अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक सोच का अर्थ हर बात का विरोध करना नहीं, बल्कि किसी भी दावे को बिना प्रमाण स्वीकार न करना है। किसी घटना के पीछे कारण खोजना, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और परिणामों की जाँच करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रमुख आधार हैं।

हमें यह भी समझना चाहिए कि सांस्कृतिक परंपराएँ और अंधविश्वास एक जैसी चीजें नहीं हैं। त्योहार, रीति-रिवाज, लोकगीत और पारिवारिक परंपराएँ समाज की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन जब कोई धारणा मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता या सामाजिक समानता को नुकसान पहुँचाती है, तो उसकी तर्क और विज्ञान के आधार पर जाँच करना आवश्यक है।

शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों की भूमिका

स्कूल और कॉलेज वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विद्यार्थियों को केवल विज्ञान के सिद्धांत याद करवाने के बजाय प्रयोगों, अवलोकनों और तार्किक चर्चाओं के माध्यम से सीखने के अवसर देने चाहिए।

शिक्षकों को बच्चों में प्रश्न पूछने की आदत विकसित करनी चाहिए। यदि कोई बच्चा किसी प्रचलित मान्यता के बारे में सवाल करता है, तो उसे चुप कराने के बजाय उसके प्रश्न का उत्तर तथ्यों और तर्क के साथ देना चाहिए। विज्ञान मेले, प्रयोगशालाएँ, वैज्ञानिक प्रदर्शनियाँ और जन-जागरूकता अभियान भी इस दिशा में प्रभावशाली साबित हो सकते हैं।

युवा पीढ़ी से उम्मीद

युवाओं में समाज में परिवर्तन लाने की अपार क्षमता है। उन्हें चाहिए कि वे प्रत्येक जानकारी को तर्क की कसौटी पर परखें और गलत धारणाओं का विरोध समझदारी से करें। किसी व्यक्ति की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं का अपमान किए बिना भी अंधविश्वासों के विरुद्ध जागरूकता पैदा की जा सकती है।

निष्कर्ष

विज्ञान और तकनीक की प्रगति तभी सार्थक बनती है, जब इसके साथ मानव की सोच भी तर्कसंगत और वैज्ञानिक बने। केवल स्मार्टफोन का उपयोग करना, इंटरनेट चलाना या उच्च डिग्रियाँ प्राप्त करना आधुनिक होने की निशानी नहीं है। वास्तविक आधुनिकता प्रश्न पूछने, सत्य की खोज करने और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेने में है।

हमें अपने बच्चों को भय और अंधविश्वास की विरासत देने के बजाय ज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक चेतना की विरासत देनी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अंधविश्वास के स्थान पर तर्क और अज्ञानता के स्थान पर ज्ञान को महत्व देगा, तभी एक स्वस्थ, जागरूक और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव होगा।

याद रखिए, वैज्ञानिक सोच मनुष्य को केवल प्रश्न पूछना ही नहीं सिखाती, बल्कि सत्य को पहचानने का साहस भी देती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब – 152107

नकली दीपावली शुभकामनाओं से सावधान - डिजिटल ठगी के नए जाल से बचें

त्योहार के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधियों से रहें सतर्क

प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

तथ्य: दीपावली पर्व के अवसर पर साइबर अपराधी नकली शुभकामना संदेशों, फर्जी उपहारों और आकर्षक ऑफरों के माध्यम से आम नागरिकों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में जनहित में चेतावनी जारी की गई है।

ठगी के तरीके - मुख्य बिंदु:

1. फर्जी शुभकामना संदेश - संदिग्ध लिंक वाले ग्रीटिंग कार्ड के नाम पर भेजे जा रहे संदेश
2. डिजिटल उपहार लिफाफा - नकद पुरस्कार, वाउचर और फेस्टिवल लिफाफे का लालच देकर लिंक भेजना
3. नकली उपहार टोकरी और ऑफर - फर्जी वेबसाइट बनाकर व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना
4. खतरनाक पीडीएफ फाइल - मैसेजिंग ऐप से भेजी जाने वाली फाइल से मोबाइल हैक और डेटा चोरी
5. हैक हुए व्हाट्सएप खाते - मित्रों और परिचितों के हैक खातों से फर्जी लिंक भेजना
6. फर्जी शॉपिंग वेबसाइट - बैंक विवरण, यूपीआई क्रेडेंशियल और संवेदनशील जानकारी एकत्र करने वाले पोर्टल

क्या करें - बचाव के उपाय:

- लिंक की जांच करें - किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले जांच लें कि वह आधिकारिक वेबसाइट की है या नहीं
- अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें - बैंक विवरण, यूपीआई पिन, ओटीपी या पासवर्ड कभी किसी को न दें
- तुरंत रिपोर्ट करें - साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या http://cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें ताकि धोखाधड़ी लेनदेन को ट्रेस कर रोका जा सके



मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी पर नंबर प्लेट गायब, यातायात नियमों के पालन पर उठे सवाल?

मंडी चौराहे पर बिना पंजीकरण संख्या के नजर आई सरकारी वाहन जैसी गाड़ी, आम नागरिकों ने प्रशासन से मांगा जवाब

रिपोर्ट - विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र मथुरा



तथ्य: सोमवार को मथुरा के मंडी चौराहे पर 'उत्तर प्रदेश सरकार' और 'मजिस्ट्रेट' लिखा एक सफेद महिंद्रा बोलेरो वाहन बिना नंबर प्लेट के देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन के पीछे पंजीकरण संख्या अंकित नहीं थी। तस्वीर में वाहन पुराना प्रतीत होता है और नंबर प्लेट की जगह खाली है।

मुख्य बिंदु:

- कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, यदि उन्हीं के वाहनों पर नियमों की अनदेखी दिखे तो व्यवस्था पर सवाल स्वाभाविक है
- नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन, चाहे नया हो या पुराना, सड़क पर नहीं चल सकता। नए वाहनों के लिए भी अस्थायी पंजीकरण अनिवार्य है
- स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि जनपद में कई विभागीय वाहन बिना नंबर प्लेट के चलते हैं

जनता के सवाल:

- चौराहों पर यातायात पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ऐसे वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
- क्या सरकारी या प्रशासनिक पहचान लिखे होने मात्र से किसी वाहन को नियमों से छूट मिल जाती है?

फिलहाल वाहन के स्वामित्व और पंजीकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिला प्रशासन और यातायात विभाग से मामले का संज्ञान लेने की अपेक्षा है।

स्वाभिमान महासभा में उमड़ा जनसैलाब, लोधी समाज ने दिखाई एकजुटता



राष्ट्रीय जन अधिकार स्वाभिमान मोर्चा के तत्वावधान में महासभा, सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी पर हुई चर्चा

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र उन्नाव

तथ्य: उन्नाव। राष्ट्रीय जन अधिकार स्वाभिमान मोर्चा के तत्वावधान में रविवार को आयोजित स्वाभिमान महासभा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लोधी समाज की विशेष भागीदारी रही। महासभा के दौरान समाज के सम्मान, अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक एवं सामाजिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मंच - मुख्य बिंदु: कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि संगठित होकर ही अपने अधिकारों और सम्मान की आवाज बुलंद की जा सकती है। इस दौरान मोर्चा के संरक्षक आशुतोष कुमार यादव, संजय लोधी, ग्राम प्रधान हरि विष्णुन लोधी, गणेशी लाल लोधी, उदयवीर लोधी, धीरज राजपूत, शंकर लोधी, गंगा चरण कश्यप और रामस्वरूप वर्मा सहित कई गणमान्य लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अध्यक्ष संदेश: मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह राजपूत ने उपस्थित लोगों का आभार जताते हुए कहा कि संगठन गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक परिवर्तन के लिए एकता और जागरूकता जरूरी है। उन्होंने नारा दिया - 'जो लोधी समाज की बात करेगा, वही लोधी समाज पर राज करेगा।'

कच्चे-पक्के के खेल ने बिगाड़ा परिवहन बाजार का गणित, स्थानीय ट्रक मालिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट

रायगढ़ से ओडिशा में औद्योगिक माल की कथित अनियमित आपूर्ति पर राउरकेला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गंभीर; 80 किलोमीटर का भाड़ा 900 रुपये, जबकि 300 किलोमीटर के लिए महज 1,000 रुपये!

परिवहन कारोबार में असंतुलन के साथ सरकारी राजस्व को भी संभावित नुकसान की आशंका; दोनों राज्यों के प्रशासन से शिकायत करने का निर्णय, परिवहन, राजस्व और जीएसटी विभाग से जांच की मांग

डॉ राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक





राउरकेला, 2 नवंबर।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ओडिशा के औद्योगिक क्षेत्रों में सरिया, बिलेट, इंगट और स्पंज आयरन जैसे उत्पादों की कथित तौर पर बिना समुचित दस्तावेजों के आपूर्ति किए जाने का मामला अब स्थानीय परिवहन उद्योग के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इस कथित कच्चे-पक्के के खेल ने माल ढुलाई के बाजार का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। नतीजतन राउरकेला, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर और सुंदरगढ़ के ट्रक मालिकों को पर्याप्त माल नहीं मिल रहा है और असंतुलित भाड़ा दरों के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इस गंभीर मुद्दे को लेकर राउरकेला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक में परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की। चर्चा के दौरान भाड़ा दरों की विसंगति का उदाहरण सामने आया। बताया गया कि बरगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी के लिए 900 रुपये भाड़ा दिया जा रहा है, जबकि राउरकेला से बरगढ़ की लगभग 300 किलोमीटर की दूरी के लिए महज 1,000 रुपये भुगतान किया जा रहा है।

डीजल, चालक का पारिश्रमिक, टायर, वाहन रखरखाव और अन्य परिचालन खर्चों को देखते हुए इतनी कम दर पर लंबी दूरी का परिवहन आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है। बैठक में सदस्यों ने आशंका जताई कि कथित कच्चे-पक्के के कारोबार और दस्तावेजों में पारदर्शिता की कमी ने बाजार की स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है।

मामला केवल ट्रांसपोर्टरों के नुकसान तक सीमित नहीं, सरकारी राजस्व से भी जुड़ा है। यदि औद्योगिक माल की आवाजाही में बड़े पैमाने पर बिलिंग, जीएसटी और ई-वे बिल संबंधी अनियमितताएं हो रही हैं, तो राज्य और केंद्र सरकार को हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपये तक के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन जांच और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही संभव है।

कर राजस्व सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसे में राजस्व की संभावित चोरी केवल सरकारी खजाने का नुकसान नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनहित के विकास कार्यों को भी प्रभावित कर सकती है।

एसोसिएशन ने मांग की है कि स्थानीय परिवहन अधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा जीएसटी विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मामले की जांच करें। रायगढ़ से ओडिशा आने वाले औद्योगिक माल के बिल, ई-वे बिल, जीएसटी भुगतान, वास्तविक वजन, परिवहन दस्तावेज और माल की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड की गहन पड़ताल होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के बीच समन्वित जांच भी कराई जाए।

एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ प्रशासन तथा ओडिशा के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को औपचारिक शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी।

बैठक में बलजीन्दर सिंह बिल्लू, मोहम्मद सलीम, शंकर लाल शर्मा, रामाज्ञा प्रसाद, चंदन बेहेरा, प्रशांत पाणी, गोविन्द अग्रवाल, मंटू कुमार यादव, मुन्ना राय, भरत शाह, श्यामनारायण गिरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

अब सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग इस कथित आर्थिक अनियमितता की तह तक पहुंचेंगे, या फिर सरकारी राजस्व और स्थानीय परिवहन कारोबारियों के हितों की अनदेखी जारी रहेगी? निष्पक्ष जांच, पारदर्शी माल ढुलाई और राजस्व अनुपालन सुनिश्चित करना अब प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

राउरकेला में 500 लीटर अवैध शराब जब्त, बोलेरो बरामद; आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

ब्राह्मणी तरंग पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब परिवहन का खुलासा, संदिग्ध वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

बिरमित्रपुर और कोयड़ा के मदिरा निर्माण केंद्रों की अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण और आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक जांच की मांग

डॉ राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक





राउरकेला, 1 नवंबर। सुंदरगढ़ जिले में अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध ब्राह्मणी तरंग पुलिस की कार्रवाई ने आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने 31 अक्टूबर की रात लगभग 10 बजे सुंदरगढ़ से राउरकेला आ रही बोलेरो (OD-32-G-8181) से 500 लीटर देशी ओएस शराब जब्त की।

एएसआई विजय कुमार खटुआ के नेतृत्व में वाहन जांच के दौरान 200 मिलीलीटर के 2,500 पाउच बरामद हुए। चालक शराब परिवहन से संबंधित वैध लाइसेंस अथवा परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने वाहन और शराब जब्त कर ओडिशा आबकारी अधिनियम की धारा 52(a)(i) के तहत मामला दर्ज किया है।

सवाल यह है कि पुलिस की नियमित जांच में इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा सकती है, तो आबकारी विभाग की निगरानी में ऐसी गतिविधियां कैसे बच निकलती हैं?

क्षेत्र में कथित रूप से अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त लगभग छह स्कॉर्पियो और बोलेरो वाहनों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि इन वाहनों की शिकायतें विभाग के संज्ञान में हैं, तो उनकी पहचान, जांच और संभावित जब्ती की स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?

इसी प्रकार बिरमित्रपुर और कोयड़ा के मदिरा निर्माण केंद्रों की उत्पादन क्षमता, आपूर्ति क्षेत्र, परिवहन परमिट और वैधानिक अनुमतियों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

विशेषकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैध सहमति, पर्यावरणीय अनुपालन तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बिना आवश्यक अनुमतियों के संचालन और करोड़ों रुपये के कथित मासिक कारोबार संबंधी आरोपों की भी दस्तावेजी जांच जरूरी है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतने व्यापक क्षेत्र में आबकारी विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित कौन करेगा? क्या शासन स्तर पर संयुक्त जांच कर अवैध परिवहन, उत्पादन और वितरण के पूरे नेटवर्क की वास्तविकता सामने लाई जाएगी?

पुलिस की यह कार्रवाई केवल शराब जब्ती तक सीमित न रहकर संभावित अवैध आपूर्ति तंत्र की निष्पक्ष जांच का आधार बननी चाहिए।

मधुसूदन मार्ग से रेलवे स्टेशन तक जगमगाएगी सड़क, आरएमसी ने बढ़ाई रोशनी की व्यवस्था

दो हाईमास्ट लाइट, 13 नए विद्युत खंभे और 26 डेकोरेटिव लाइटों से बदली सड़क की तस्वीर

शहर के सौंदर्यीकरण के साथ रात्रिकालीन यातायात को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की पहल

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला



शहर की आधारभूत नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और रात्रिकालीन आवागमन को सुरक्षित बनाने की दिशा में राउरकेला महानगर निगम (आरएमसी) ने प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल की है। इसी क्रम में शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल मधुसूदन मार्ग से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क को आधुनिक प्रकाश व्यवस्था से रोशन किया गया है।

इस परियोजना के तहत सड़क पर दो नए हाईमास्ट लाइट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 13 नए विद्युत खंभे स्थापित करने के साथ 26 डेकोरेटिव लाइटों को पुनः लगाया गया है। इन व्यवस्थाओं के पूरा होने से अब संबंधित मार्ग का संपूर्ण हिस्सा रोशनी से जगमगा उठा है।

इस पहल का उद्देश्य केवल सड़क की सुंदरता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि रात के समय राहगीरों, वाहन चालकों और रेलवे स्टेशन की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को बेहतर दृश्यता एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना भी है। विशेषकर देर रात तक आवाजाही वाले इस मार्ग पर पर्याप्त रोशनी रहने से दुर्घटनाओं और अंधेरे का लाभ उठाकर होने वाली असामाजिक गतिविधियों की आशंका कम करने में भी मदद मिल सकती है।

हालांकि, शहर में प्रकाश व्यवस्था को मजबूत बनाने की यह पहल सराहनीय है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता नियमित रखरखाव, खराब लाइटों की त्वरित मरम्मत और अन्य अंधेरे वाले इलाकों तक ऐसी सुविधाएं पहुंचाने पर निर्भर करेगी।

आरएमसी के लिए अब चुनौती इस व्यवस्था को निरंतर प्रभावी बनाए रखने की है, ताकि शहर के अन्य प्रमुख मार्गों और आंतरिक बस्तियों के नागरिकों को भी बेहतर प्रकाश सुविधा मिल सके। शहरी सौंदर्यीकरण तभी सार्थक होगा, जब उसका लाभ आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार

साइबर अपराधियों के विरुद्ध भारत का सशक्त संकल्प



पिंकी कुंडू

अंतरराष्ट्रीय साइबर-सक्षम सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग सिंडिकेट के प्रमोटर एवं कथित सरगना Sourabh Chandrakar को CBI द्वारा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से ओमान से भारत प्रत्यर्पित (Extradite) किया गया है।

Sourabh Chandrakar को इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने ढूंढकर हिरासत में लिया था। CBI एवं ED सहित भारतीय एजेंसियों के निरंतर प्रयासों के बाद ओमान ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, जिसके पश्चात CBI की एक विशेष टीम उन्हें भारत लेकर आई। उन्हें रायपुर स्थित विशेष CBI न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है।

आरोपी दो CBI मामलों तथा लगभग 6,000 करोड़ के महादेव बेटिंग ऐप घोटाले से जुड़े एक प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित है। जांच में सामने आया कि यह सिंडिकेट भारत के बाहर से संचालित होता था तथा देशभर में फैले एजेंटों और फ्रेंचाइजी नेटवर्क के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल, ताश एवं अन्य आयोजनों पर अवैध सट्टेबाजी संचालित करता था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, अपराध से अर्जित धनराशि को बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खातों के माध्यम से कई स्तरों पर ट्रांजैक्शन कराकर हवाला चैनलों के जरिए विदेश भेजा जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि सिंडिकेट के संचालन को सुगम बनाने हेतु कुछ लोक सेवकों को कथित रूप से संरक्षण राशि (Protection Money) भी दी गई थी।

भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा न्यायपालिका के समन्वित प्रयासों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क और डिजिटल अपराध तंत्र के विरुद्ध कार्रवाई और तेज कर दी है। यह घटनाक्रम एक बार फिर दर्शाता है कि भारत साइबर अपराधियों को किसी भी कीमत पर कानून के शिकंजे से बचने नहीं देगा।



प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष 2021 से 2025 के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई कर 8,189 करोड़ से अधिक राशि बचाई गई।

साइबर अपराधों में उपयोग की आशंका वाले 12.2 लाख से अधिक SIM कार्ड एवं 3 लाख से अधिक IMEI ब्लॉक किए गए।

प्रतिबिंब (Pratibimb) और समन्वय (Samanvaya) प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर अपराध जांच को मजबूती मिली, जिसके परिणामस्वरूप 20,000 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

सुप्रीम कोर्ट लगातार साइबर अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी कर रहा है तथा म्यूल खातों को फ्रीज करने, पीड़ितों की धनराशि शीघ्र लौटाने और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दे चुका है।

साइबर अपराध के दृष्टिकोण से महत्व

ये कदम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि साइबर अपराधी चाहे देश के भीतर सक्रिय हों या विदेशों में बैठकर अपराध कर रहे हों, उन्हें वित्तीय अवरोध, तकनीकी ब्लॉकिंग, जांच, गिरफ्तारी और अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। अब कार्रवाई केवल व्यक्तिगत अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आपराधिक तंत्र, जैसे म्यूल अकाउंट संचालक, SIM प्रदाता, बिचौलिये एवं संगठित अपराध सिंडिकेट, सभी पर केंद्रित है।

भारत की विकसित होती साइबर अपराध-रोधी रणनीति एक स्पष्ट संदेश देती है कि साइबर अपराधियों के लिए न तो गुमनामी, न प्रतिरक्षा और न ही दण्डमुक्ति की कोई गुंजाइश है। तकनीक आधारित पुलिसिंग, अंतर-एजेंसी समन्वय, न्यायिक निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत साइबर अपराधियों की पहचान, ट्रैकिंग, गिरफ्तारी और अभियोजन की अपनी क्षमता को निरंतर सशक्त बना रहा है। यह कार्रवाई पुनः सिद्ध करती है कि अपराधी चाहे कहीं भी हों और किसी भी तरीके से अपराध करें, कानून से बच पाना उनके लिए दिन-प्रतिदिन कठिन होता जाएगा।

"हर ब्लॉक किया गया म्यूल अकाउंट, हर निष्क्रिय किया गया SIM कार्ड और हर गिरफ्तार साइबर अपराधी यह याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में भी अपराध अपने निशान छोड़ता है, और न्याय अब पहले से कहीं अधिक तेजी से अपराधियों तक पहुंच रहा है।"

न्याय की पहुंच हर गरीब तक होनी चाहिए: सीजेआई

बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की, स्टेट लीगल अथरेटी को दिया धन्यवाद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड



रांची, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सिविल कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए स्टेट लेवल लीगल अथॉरिटी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को न्यायिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी.सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह अस्पताल में मरीज के पहुंचने पर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उसे इलाज का भरोसा दिलाते हैं और डॉक्टर जांच के बाद जल्द ठीक होने का आश्वासन देते हैं, उससे मरीज की आधी बीमारी दूर हो जाती है. उसी प्रकार न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को समाज के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता है. उन्हें हर प्रकार से सहयोग कर न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए.कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि न्याय की पहुंच हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक होनी चाहिए. न्याय सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंदों को उनके घर तक न्याय मिल सकेज़. कहा कि झारखंड से ही ताल्लुक रखने वाले अपरेश कुमार सिंह आज सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे रहे हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में जाकर न्यायिक जानकारी के बारे में लोगों को अवगत कारण ताकि न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों का ज्यादा से ज्यादा भरोसा बढ़े.

वहीं कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करने के बाद मुख्य न्यायाधीश सीधे देवघर से रांची के लिए रवाना हुए, जहां वह निर्धारित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत देवघर पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया था. इस दौरान डीसी सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर ने पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन किया था. एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सीजेआई सीधे बैधनाथ धाम मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे.

सी जे आई के कोर्ट परिसर में निर्धारित कार्यक्रम को लेकर विशेष प्रोटोकॉल तैयार किया गया था. प्रशासन की ओर से साफ निर्देश दिए गए थे कि केवल उन्हीं लोगों को कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिन्हें जिला प्रशासन की तरफ से अधिकृत किया गया था।

चक्रवात 'मुरासु' का असर: भूस्खलन की आशंका के चलते कोरापुट में राज्य राजमार्ग-48 बंद

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा



कोरापुट : चक्रवात 'मुरासु' आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के विभिन्न इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए संभावित भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर कोरापुट जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बोरिगुम्मा और रानीगुड़ा के बीच राज्य राजमार्ग संख्या-48 के खतरनाक हिस्से को आम लोगों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है।

लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों की मिट्टी कमजोर और नरम हो गई है। कई स्थानों पर पत्थर और मलबा गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर यातायात बंद रखने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने भी भारी बारिश के कारण इसी इलाके में भूस्खलन की घटना सामने आई थी। राजमार्ग बंद होने के कारण यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-326 का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कोरापुट जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति सामान्य होने और अगले आदेश जारी होने तक बोरिगुम्मा-रानीगुड़ा मार्ग से आवागमन नहीं किया जाए।

इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कोरापुट जिले के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। चक्रवात 'मुरासु' के प्रभाव से आज जिले में भारी बारिश, बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं और लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा और बढ़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बंद किए गए मार्ग से यात्रा नहीं करने की अपील की है।

पूर्व तट रेलवे में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 5.0 का होगा आयोजन



मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर : पूर्व तट रेलवे की ओर से रेलवे पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 5.0 का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक और पेंशनभोगियों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत भुवनेश्वर स्थित मुख्यालय सहित खुर्दा रोड, संबलपुर एवं रायगढ़ा मंडल के विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पेंशनभोगी एवं पारिवारिक पेंशनभोगी डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत ब्रह्मपुर, बालूगांव, पुरी, भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, अनुगुल, भद्रक एवं केंदुझरगढ़ में शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं, रायगढ़ा मंडल के अंतर्गत डीआरएम (कार्मिक) कार्यालय, रायगढ़ा के अलावा कोरापुट, जयपुर एवं अराकू के निर्धारित कार्यालयों में शिविर लगाए जाएंगे।

संबलपुर मंडल के अंतर्गत रेढ़ाखोल, बलांगीर, टिटलागढ़, महासमुंद एवं कांटाबांजी में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर के मंचेश्वर स्थित कैरेज रिपेयर वर्कशॉप तथा पूर्व तट रेलवे मुख्यालय के अंतर्गत पीसीपीओ/पीएफओ (PCPO/PFA) कार्यालय सहित अन्य निर्धारित स्थानों पर भी शिविर लगाए जाएंगे।

80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिविरों में आने वाले रेलवे पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रक्रिया को सुविधाजनक ढंग से पूरा करने के लिए अपना आधार कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO), बैंक पासबुक तथा आधार से लिंक मोबाइल फोन साथ लेकर आएं। इस पहल के माध्यम से पूर्व तट रेलवे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के पेंशनभोगियों को सरल, प्रभावी और पेंशनभोगी अनुकूल सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों

पथिक लेयर्स फोरम ने भव्य स्वागत समारोह में गुर्जर समाज की प्रमुख हस्तियों को किया सम्मानित

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली



नई दिल्ली। पथिक लेयर्स फोरम के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदर सिंह बिधूड़ी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल चौहान के कुशल नेतृत्व में एक दशक से अधिक समय से विभिन्न क्षेत्रों में गुर्जर समाज द्वारा शानदार उपलब्धियों के लिए न सिर्फ उन्हें सम्मानित किया जा रहा आ है, बल्कि समाज के प्रतिभावान युवाओं को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित भी किया रहा है।पथिक लेयर्स फोरम गुर्जर समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतक भागीदारी के लिए हमेशा संघर्षशील रहा है।

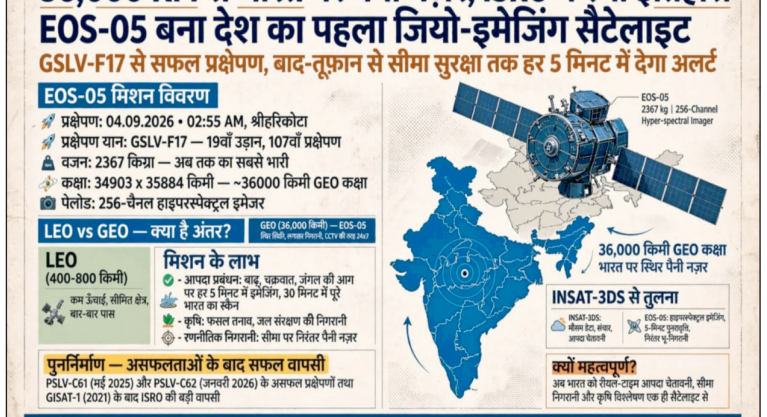
एक नवम्बर को संस्था की ओर से कॉन्फ्रेंस हॉल लॉयर्स चैंबर ब्लॉक सकेत कोर्ट में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।इसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीचंद जाखड़ ने बताया कि इस सम्मान समारोह में पूरे देश से गुर्जर समाज के प्रतिष्ठालब्ध एवं नामचीन हस्तियों ने भाग लिया।इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में बार काउंसिल आफ उत्तराखंड के सीनियर एडवोकेट सुखपाल सिंह, बार काउंसिल आफ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह, बार काउंसिल आफ पंजाब एंड हरियाणा के सीनियर एडवोकेट करमजीत चौधरी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता राजपाल कसाना, बार काउंसिल आफ दिल्ली की अधिवक्ता अनुप्रिया नागर, बार काउंसिल आफ राजस्थान के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज चेची तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिवक्ता शाह मोहम्मद गुर्जर, अधिवक्ता विक्रांत राणा, अधिवक्ता जतन सिंह, अधिवक्ता जगदेव सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता मान्यता प्राप्त) ने सम्मान समारोह में शिरकत की।गुर्जर समाज के गणमान्य अधिवक्ताओं में अधिवक्ता करनैल सिंह, अधिवक्ता हरीश तंवर, अधिवक्ता वीरेंद्र कसाना, अधिवक्ता अनिल बसोया, अधिवक्ता धीर सिंह कसाना, अधिवक्ता प्रदीप नागर, अधिवक्ता हिमांशु खारी, अधिवक्ता कपिल तंवर, अधिवक्ता अजय तंवर, अधिवक्ता सतीश बिधूड़ी, अधिवक्ता ईश्वर सिंह बिधूड़ी, अधिवक्ता यश चौधरी, अधिवक्ता राहुल चौधरी, अधिवक्ता साहिल चौधरी, अधिवक्ता हरीश तंवर, अधिवक्ता प्रशांत चौधरी, अधिवक्ता निर्देश बिधूड़ी ने भाग लिया।एडवोकेट हरीचंद जाखड़ ने बताया कि सभी ख्याति प्राप्त अधिवक्ताओं को शॉल एवं शील्ड प्रदान कर उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता यू के चौधरी ने किया।सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने पथिक लेयर्स फोरम के संचालक इंदर सिंह बिधूड़ी एवं अनिल चौहान का समाज के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया।

ISRO का EOS-05 - भारत की अंतरिक्ष में स्थायी तीसरी आँख

36,000 KM से भारत पर पैनी नजर, ISRO ने रचा इतिहास - EOS-05 बना देश का पहला जियो-इमेजिंग सैटेलाइट

GSLV-F17 से सफल प्रक्षेपण, बाढ़-तूफान से लेकर सीमा सुरक्षा तक हर 5 मिनट में देगा अलर्ट

प्रस्तुतकर्ता: पिंकी कुंडू | सामाजिक परामर्शदाता



प्रस्तावना: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 4 सितंबर 2026 को वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ था। 51.7 मीटर ऊंचे GSLV-F17 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर 2,367 KG वजनी EOS-05 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया। यह GSLV का अब तक का सबसे भारी पेलोड और इसरो की 7 महीने के अंतराल के बाद पहली कक्षीय सफलता है।

तथ्य और तकनीकी विवरण:

. लॉन्च विवरण: दिनांक 04.09.2026, समय 02:55 AM, स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। यह GSLV की 19वीं उड़ान और केंद्र का 107वां प्रक्षेपण था।

2. कक्षा: अंतिम कक्षा ~34,903 x 35,884 KM, यानी लगभग 36,000 KM। धरती की घूर्णन गति से तालमेल होने के कारण यह उपग्रह भारत के ऊपर स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होगा।

3. पेलोड: 256-चैनल हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर, जो हर कुछ मिनट में स्पेक्ट्रल डेटा रिफ्रेश करने में सक्षम है।

सामान्य उपग्रहों से कैसे अलग?

अब तक के अधिकांश अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट LEO (400-800 KM) में घूमते हैं। वे एक स्थान के ऊपर केवल कुछ मिनट रहते हैं और घंटों बाद लौटते हैं। EOS-05 जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होने से भारत पर लगातार CCTV की तरह नजर रखेगा।

मुख्य बिंदु - देश को क्या लाभ होगा?

- आपदा प्रबंधन में क्रांतिः बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग और बादल फटने जैसी घटनाओं की इमेजिंग हर 5 मिनट में और पूरे भारत का स्कैन लगभग हर 30 मिनट में।

- कृषि और पर्यावरण: फसल तनाव, मिट्टी की नमी, खनिज धूल और वन आवरण का रीयल-टाइम आकलन।

- सामरिक महत्वः सीमा क्षेत्रों, सामरिक प्रतिष्ठानों और समुद्री गतिविधियों पर निरंतर निगरानी।

- भरोसे की वापसीः यह मिशन मई 2025 (PSLV-C61) और जनवरी 2026 (PSLV-C62) की लगातार विफलताओं और 2021 में GISAT-1/EOS-03 की विफलता के बाद ISRO के लिए प्रतिष्ठा बहाली मिशन है।

निष्कर्ष: EOS-05 केवल एक उपग्रह नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर अंतरिक्ष निगरानी क्षमता की दिशा में बड़ा कदम है। जब INSAT-3DS जैसे मौसम उपग्रह पहले से 35,786 KM पर काम कर रहे हैं, तब EOS-05 इमेजिंग के मामले में एक नया मानक स्थापित करेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023